संख्या-114/2018/4030 ई-2/तेरह-2018-02/2018

प्रेषक,

कल्पना अवस्थी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 25 दिसम्बर, 2018**

विषयः- वर्ष 2019-20 के लिए आबकारी नीति का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- जी0-142/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/ 2019-20, दिनांक 03 दिसम्बर, 2018 तथा पत्र संख्या-जी-148/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2019-20, दिनांक 12 दिसम्बर, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्रों के माध्यम से वर्ष 2019-20 के लिये आबकारी नीति निर्धारण हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश के राजस्व एवं जनहित के दृष्टिगत वर्ष 2019-20 के लिये आबकारी नीति का निम्नवत् निर्धारण किया जाता है-

वर्ष 2019-20 की आबकारी नीति हेतु प्रस्ताव

वर्ष 2018-19 में आबकारी नीति में परिवर्तन कर इसे पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाया गया। वर्ष 2018-19 में मदिरा की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन प्रथम बार ई-लाटरी प्रक्रिया से सम्पन्न किया गया। इसके अतिरिक्त विशिष्ट जोन मेरठ को समाप्त कर सम्पूर्ण प्रदेश में एक आबकारी नीति लागू की गयी। थोक अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन भी जनपदवार किया गया है तथा जिस किसी ने भी नियमानुसार थोक अनुज्ञापनों के लिये आवेदन किया, उसका आवेदन नियमानुकूल पाये जाने पर स्वीकृत किया गया। वर्ष 2018-19 में मदिरा की बोतलों को उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक ट्रैक एण्ड ट्रेस करने की प्रणाली पर कार्य किया जा रहा है। सम्प्रति यह प्रणाली उत्पादनकर्ता से लेकर थोक आपूर्तिकर्ता तक सुचारू रूप से क्रियाशील है तथा इसे अग्रतर फुटकर स्तर तक क्रियान्वित किया जा रहा है।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत वर्ष 2019-20 की आबकारी नीति निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः-

2.1 देशी मदिरा

2.1.1 आवेदन व प्रोसेसिंग फीस-

वर्ष 2018-19 के लिये प्रोसेसिंग फीस की दर रू0 15000/- प्रति आवेदन पत्र निर्धारित थी। विभाग में ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने एवं ढांचागत विकास में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु तथा व्यवस्थापन की प्रक्रिया में गम्भीर एवं वास्तविक आवेदकों को ही सम्मिलित होने का अवसर दिये जाने तथा अवास्तविक एवं अक्षम व्यक्तियों को प्रक्रिया में भाग लेने से रोकने के लिये प्रोसेसिंग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

फीस बढ़ाकर वर्ष 2019-20 हेतु रू0 18000/- प्रति आवेदन पत्र किया जाना तथा इस पर तत्समय प्रचलित दर से जी0एस0टी नियमानुसार वसूल किया जाएगा।

2.1.2 <u>देशी मदिरा की श्रेणियां तथा गुणवत्ता</u>:-

वर्ष 2018-19 में देशी मदिरा की तीव्रता के आधार पर निम्नानुसार तीन श्रेणियां प्रचलित हैं:-

(1) 42.8 प्रतिशत वी/वी (मसाला)

(2) 36 प्रतिशत वी/वी (मसाला)

(3) 25 प्रतिशत वी/वी (सादा व मसाला)

सम्प्रति 42.8 प्रतिशत वी/वी तीव्रता की देशी मदिरा की बिक्री 30 प्रतिशत है, 36 प्रतिशत वी/वी तीव्रता की देशी मदिरा की बिक्री सर्वाधिक 51 प्रतिशत है तथा 25 प्रतिशत वी/वी श्रेणी की देशी मदिरा की बिक्री 19 प्रतिशत है। वर्ष 2019-20 में भी उपरोक्त श्रेणियों में मदिरा की आपूर्ति की जाएगी। देशी मदिरा की तीव्रता की उपरोक्त तीनों श्रेणियों के लिये वर्ष 2018-19 की भांति वर्ष 2019-20 में आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 की स्वीकृति से भिन्न-भिन्न रंगों के कैप्स व लेबुलों के बार्डर निर्धारित प्रतिबंधों के साथ बनाये रखे जाएंगे। वर्ष 2018-19 की भांति वर्ष 2019-20 में प्रदेश में केवल एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ई0एन0ए0) से निर्मित देशी मदिरा का विक्रय किया जाएगा।

2.1.3 <u>देशी मदिरा का एम.जी.क्यू.(न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा/Minimum Guaranteed Quantity)</u>:-

(1) देशी मदिरा दुकानों के लिये बेसिक लाइसेंस फीस व लाइसेंस फीस की देयता का आगणन उनके एम0जी0क्यू0 के आधार पर किया जाता है। वर्ष 2018-19 की आबकारी नीति में प्रदेश के लिये 36.20 करोड़ बल्क लीटर एम0जी0क्यू0 व्यवस्थापन हेतु निर्धारित किया गया था। वर्ष 2018-19 में 36.32 करोड़ बल्क लीटर एम0जी0क्यू0 का व्यवस्थापन हुआ है। उक्त के दृष्टिगत वर्ष 2019-20 हेतु वर्ष 2018-19 के व्यवस्थित एम0जी0क्यू0 अथवा वास्तविक उपभोग जो भी अधिक हो, पर 8 प्रतिशत की वृद्धि कर एम0जी0क्यू0 निर्धारित किया जाता है। इस प्रयोजनार्थ वर्ष 2018-19 के वास्तविक उपभोग का आंकलन 31 जनवरी,2019 तक हुये उपभोग को समानुपातिक आधार पर बढ़ाते हुये किया जायेगा। अतः वर्ष 2019-20 हेतु वर्ष 2018-19 के व्यवस्थित एम0जी0क्यू0 36.32 करोड़ बल्क लीटर अथवा वास्तविक उपभोग, जो भी अधिक हो पर 8 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार वर्ष 2019-20 हेतु प्रस्तावित न्यूनतम एम0जी0क्यू0 39.23 करोड़ बल्क लीटर आगणित होता है।

प्रतिबंध यह होगा कि जिन दुकानों का वर्ष 2018-19 हेतु व्यवस्थापन द्वितीय चरण अथवा अग्रतर चरणों के व्यवस्थापन में घटे हुये एम0जी0क्यू0 पर हुआ है, उन दुकानों के वर्ष 2019-20 के एम0जी0क्यू0 के निर्धारण में उपरोक्त घटे हुये एम0जी0क्यू0 को संज्ञान में नहीं लिया जायेगा, बल्कि ऐसी दुकानों के वर्ष 2019-20 के एम0जी0क्यू0 निर्धारण में वर्ष 2018-19 हेतु प्रथम चरण के व्यवस्थापन हेतु निर्धारित एम0जी0क्यू0 के आधार पर आगणन किया जायेगा।

(2) उपरोक्तानुसार आगणित दुकानवार वार्षिक एम0जी0क्यू0 के 12 से पूर्णतः विभाजित न हो सकने की स्थिति में इसे अगली संख्या तक, जो 12 से विभाज्य हो, बढ़ा कर निर्धारित किया जायेगा। इस प्रकार आगणित एम0जी0क्यू0 दुकान का वर्ष 2019-20 के लिये वार्षिक एम0जी0क्यू0 होगा।

(3) वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यवस्थित दुकानों की जियो टैगिंग का कार्य संपन्न होने के पश्चात ही दुकानों का नवसृजन किया जा सकेगा। नवसृजित दुकानों का एम0जी0क्यू0 प्रस्तर-2.1.9

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

में प्रस्तावित न्यूनतम एम0जी0क्यू0 से कम नहीं होगा तथा इस संबंध में प्रचलित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का पालन किया जायेगा ताकि किसी अन्य दुकान का क्षेत्राधिकार प्रभावित न हो एवं निर्धारित एम0जी0क्यू0 युक्तिसंगत हो। यह एम0जी0क्यू0 36 प्रतिशत वी0/वी0 तीव्रता की देशी मदिरा के संदर्भ में होगा। जनपद में नवसृजित दुकानों का एम0जी0क्यू0 प्रस्तर-2.1.3(1) में निर्धारित एम0जी0क्यू0 के अतिरिक्त होगा।

2.1.4 <u>देशी मदिरा की बेसिक लाइसेंस फीस</u>:-

वर्ष 2018-19 हेतु बेसिक लाइसेंस फीस की दर रू0 28/- प्रति बल्क लीटर (36 प्रतिशत वी/वी के टर्म में) निर्धारित है। वर्ष 2019-20 हेतु बेसिक लाइसेंस फीस की दर रू0 30/- प्रति बल्क लीटर (36 प्रतिशत वी/वी के टर्म में) की जाती है।

वर्ष 2018-19 में एम0जी0क्यू0 से अधिक निकासी उठाने पर अतिरिक्त निकासी की मात्रा पर अतिरिक्त बेसिक लाइसेंस फीस की देयता को समाप्त कर दिया गया था। इसका अनुकूल प्रभाव एम0जी0क्यू0 से अतिरिक्त उठान पर पड़ा है। अतः वर्ष 2019-20 में भी एम0जी0क्यू0 से अधिक निकासी उठाने पर अतिरिक्त निकासी की मात्रा पर अतिरिक्त बेसिक लाइसेंस फीस नहीं ली जाएगी। इस पर प्रचलित दर से मात्र प्रतिफल शुल्क एवं अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क की वसूली की जायेगी। इससे अनुज्ञापी देशी मदिरा के अतिरिक्त उठान हेतु प्रोत्साहित होंगे, जो अंततः व्यापक राजस्व हितों के अनुकूल होगा।

2.1.5 <u>देशी मदिरा की लाइसेंस फीस/प्रतिफल फीस</u>:-

वर्ष 2018-19 में देशी मदिरा पर प्रतिफल फीस रुपये 222 प्रति बल्क लीटर (36 प्रतिशत वी/वी) निर्धारित है। अवैध मद्यनिष्कर्षण से तैयार की जाने वाली सस्ती मदिरा के प्रचलन पर प्रभावी नियंत्रण करने तथा पड़ोसी राज्यों से सस्ती मदिरा की तस्करी को रोकने हेतु देशी मदिरा के मूल्यों को स्थिर रखने तथा उपभोग के माध्यम से राजस्व वृद्धि के उद्देश्य से देशी मदिरा के प्रतिफल शुल्क को यथावत् रखते हुये वर्ष2019-20 हेतु प्रतिफल फीस रु0 222/- प्रति बल्क लीटर (36 प्रतिशत वी/वी के टर्म में) निर्धारित की जाती है।

उपरोक्त के दृष्टिगत वर्ष 2019-20 हेतु देशी मदिरा की प्रतिफल फीस की दरें निम्नवत् होंगी:-

क्र0सं0	देशी मदिरा की श्रेणी/तीव्रता	वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित प्रतिफल फीस की दर (रु0 प्रति बल्क लीटर)
1	42.8 प्रतिशत वी/वी के रुप में	263.93
2	36 प्रतिशत वी/वी के रुप में	222.00
3	25 प्रतिशत वी/वी के रुप में (सादा/मसाला)	154.17

दुकान की मासिक लाइसेंस फीस जो मासिक एम0जी0क्यू0 में सन्निहित प्रतिफल शुल्क के समतुल्य होगी, प्रतिमाह अनुज्ञापी को जमा करना अनिवार्य होगा। इस हेतु उपरोक्तानुसार आगणित मासिक एम0जी0क्यू0 की निकासी में सन्निहित प्रतिफल शुल्क के समतुल्य मासिक लाइसेंस फीस के समायोजन का अनुज्ञापी हकदार होगा। मासिक लाइसेंस फीस के उपरोक्तानुसार भुगतान/समायोजन में विफल रहने पर दुकान की प्रतिभूति जब्त कर ली जायेगी तथा दुकान का अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2.1.6 <u>बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस की देयतायें</u>:-

किसी देशी मदिरा दुकान के लिये वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित एम0जी0क्यू0 के आधार पर उसकी बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस की गणना की जायेगी। एम0जी0क्यू0 से अधिक देशी मदिरा की निकासी उठाने पर अतिरिक्त निकासी पर बेसिक लाइसेंस फीस, अतिरिक्त रुप से देय नहीं होगी, परन्तु किसी माह में एम0जी0क्यू0 से अधिक उठायी गयी देशी मदिरा पर उदग्रहणीय प्रतिफल शुल्क एवं अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का समायोजन अगले महीनों हेतु निर्धारित मासिक लाइसेंस फीस के विरुद्ध नहीं किया जा सकेगा। प्रतिबंध यह होगा कि देशी मदिरा की फुटकर दुकान पर जनपद में व्यवस्थित किसी एक सी0एल0-2 थोक अनुज्ञापन से अपने मासिक एम0जी0क्यू0 का अधिकतम 70 प्रतिशत तक उठान किया जाना अनुमन्य होगा। संपूर्ण मासिक एम0जी0क्यू0 का उठान कर लिये जाने के पश्चात् अनुज्ञापी द्वारा किसी भी सी0एल0-2 से अतिरिक्त निकासी ली जा सकेगी।

2.1.7 <u>देशी मदिरा पर अतिरिक्त प्रतिफल फीस लिया जाना</u>:-

वर्ष 2018-19 में देशी मदिरा के ऑप्टिमम रिटेल प्राइस को बढ़ाकर देशी मदिरा की एम0आर0पी0 रु0 5/- के अगले गुणांक में निर्धारित की गयी है एवं अन्तर की धनराशि को अतिरिक्त प्रतिफल फीस के रुप में आसवनी स्तर पर ही वसूल किया जा रहा है। इस व्यवस्था को वर्ष 2019-20 के लिये यथावत् रखा जाता है। इस प्रकार वसूली गयी अतिरिक्त प्रतिफल फीस की धनराशि देशी मदिरा के फुटकर अनुज्ञापी की लाइसेंस फीस में समायोजन योग्य नहीं होगी। परन्तु अनुज्ञापी द्वारा मासिक एम0जी0क्यू0 का पूर्ण रूप से उठान न किये जाने की स्थिति में अनुज्ञापी को, न उठाये गये एम0जी0क्यू0 की मात्रा में सन्निहित प्रतिफल शुल्क व इसमें सन्निहित 36 प्रतिशत वी0/वी0 तीव्रता की देशी मदिरा के 200 एम0एल0 की बोतलों की संख्या पर देय अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।

2.1.8 <u>देशी मदिरा का मूल्य निर्धारण</u>:-

वर्ष 2019-20 हेतु उक्त श्रेणियों की देशी मदिरा के अधिकतम थोक व अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य निम्नलिखित तालिका के अनुसार निर्धारित किये जाते हैं:-

क्र0सं0	देशी मदिरा का प्रकार	धारिता	प्रतिफल शुल्क रहित एक्स आसवनी मूल्य(रु0)	प्रतिफल शुल्क(रु0)	अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क(रु0)	थोक क्रय मूल्य(रु0)	थोक विक्रय मूल्य(रु0)	अधिकतम फुटकर बिक्रय मूल्य(रु0)
1	42.8 प्रतिशत वी/वी(मसाला)	200एम0एल0	5.92	52.79	1.44	59.23	60.16	75.00
2	36 प्रतिशत वी/वी(मसाला)	200एम0एल0	5.40	44.40	2.58	50.32	51.15	65.00
3	25 प्रतिशत वी/वी (सादा/मसाला)	200एम0एल0	4.57	30.83	0.54	35.92	36.63	45.00

(संलग्नक-1)

उपरोक्तानुसार वर्ष 2019-20 में अधिकतम फुटकर बिक्रय मूल्यों को वर्ष 2018-19 की भांति यथावत् रखा जाता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उल्लेखनीय है कि देशी मदिरा की दरें वर्तमान में भारत सरकार द्वारा एनहाइड्रस एथेनॉल के निर्धारित प्रशासित मूल्य के आधार पर आंकलित की गयी हैं। यदि भविष्य में भारत सरकार द्वारा एनहाइड्रस एथेनॉल के प्रशासित मूल्यों में कमी की जाती है तब देशी मदिरा की दरें तदनुसार पुनरीक्षित की जायेंगी।

प्रत्येक आसवनी यह सुनिश्चित करेगी कि मदिरा की आपूर्ति इण्डेण्ट प्राप्ति से 03 दिन के भीतर हो जाय। विलम्ब की दशा में इण्डेण्ट में वांछित निकासी में सन्निहित राजस्व के 0.5 प्रतिशत की दर से आसवनी पर प्रतिदिन जुर्माना आरोपित होगा। यह जुर्माना सहायक आबकारी आयुक्त संबंधित आसवनी द्वारा प्रत्येक सप्ताह आगणित करके आसवनी के अग्रिम खाते से समायोजित कर लिया जायेगा, जिसे लाल स्याही से अंकित किया जायेगा।

प्रत्येक आसवनी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इण्डेण्ट प्राप्ति के 02 कार्य दिवसों के अन्दर इण्डेण्ट में सन्निहित प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क को राजकोष में जमा कर दिया जाय अन्यथा की दशा में रू0 5,000/- प्रतिदिन की दर से आसवनी पर जुर्माना आरोपित किया जायेगा। यह जुर्माना सहायक आबकारी आयुक्त सम्बन्धित आसवनी द्वारा प्रत्येक सप्ताह आगणित करके आसवनी के अग्रिम खाते से समायोजित कर लिया जायेगा, जिसे लाल स्याही से अंकित किया जायेगा।

2.1.9 <u>देशी मदिरा की दुकानों का सृजन</u>-

अवैध मदिरा की तस्करी व बिक्री की रोकथाम तथा असेवित क्षेत्रों में मानक गुणवत्ता की मदिरा की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु वर्ष 2018-19 हेतु 10 प्रतिशत नई दुकानों के सृजन करने का अधिकार आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 को प्रदत्त है। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ, लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या-4272(पी0आई0एल0)/2017 भारतीय युवा शक्ति कल्याण समिति बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01-03-2017 में मा0 न्यायालय द्वारा निम्न मत अवधारित किया गया है:-

".....Consequently, the Article-47 may not be remedy under Article-226 of the Constitution of India but the State is under an obligation to frame laws in order to achieve the goal of Article-47 of the Constitution of India as observed in decision aforesaid."

अतः मा0 न्यायालय के उक्त आदेश का समादर करने तथा नई दुकानों के खुलने से विगत वर्षों में हुये व्यापक जनविरोध की स्थिति को देखते हुये दुकानों के सृजन को नियंत्रित रखे जाने के क्रम में वर्ष 2019-20 में देशी मदिरा की व्यवस्थित कुल दुकानों की संख्या के मात्र 1 प्रतिशत तक दुकानों के सृजन का अधिकार आबकारी आयुक्त उ0प्र0 को दिया जाता है। इससे अधिक की आवश्यकता पड़ने पर शासन की अनुमति से नई दुकानों का सृजन किया जा सकेगा। प्रतिबंध यह होगा कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यवस्थित दुकानों की जियो टैगिंग का कार्य संपन्न हो जाने के पश्चात ही दुकानों का नवसृजन अनुमन्य होगा।

नवसृजित देशी मदिरा की दुकानों के वर्ष 2018-19 के निर्धारित न्यूनतम एम.जी.क्यू. को

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

वर्ष 2019-20 हेतु यथावत् रखा जाता है-

क्र0सं0	दुकान की प्रास्थिति	वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित न्यूनतम एम.जी.क्यू. (ब0ली0 में)	वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित न्यूनतम एम.जी.क्यू. (ब0ली0 में)
1	नगर निगम व इसकी सीमा से 03 कि0मी0 की परिधि तक	26600	26600
2	नगर पालिका व इसकी सीमा से 02 कि0मी0 की परिधि तक	19000	19000
3	नगर पंचायत व इसकी सीमा से 01 कि0मी0 की परिधि तक	11500	11500
4	ग्रामीण	6600	6600

देशी मदिरा की समस्त दुकानों (नवसृजित सहित) की प्रास्थिति का निर्धारण नियमानुसार किया जायेगा। इस संबंध में आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा समय-समय पर प्रसारित परिपत्रों में दिये गये निर्देशों का भी कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2.1.10 <u>देशी मदिरा दुकानों का वर्ष 2019-20 हेतु नवीनीकरण</u>:-

वर्ष 2018-19 की आबकारी नीति में यह व्यवस्था है कि ''देशी मदिरा की फुटकर दुकानों के अनुज्ञापियों द्वारा निर्धारित वार्षिक एम0जी0क्यू0 से 6 प्रतिशत अथवा उससे अधिक निकासी लिये जाने की स्थिति में वर्ष 2019-20 हेतु तत्समय निर्धारित शर्तों एवं देयताओं पर यदि अनुज्ञापी चाहे, तो उसके अनुज्ञापन के नवीनीकरण की व्यवस्था अनुमन्य की जायेगी।'

वर्ष 2019-20 में देशी मदिरा की दुकानों का नवीनीकरण/व्यवस्थापन निम्नांकित शर्तों के अधीन किया जाएगा:-

1- अंतिम व्यपगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

2- वर्ष 2018-19 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

3- अनुज्ञापी को इस आशय का शपथ पत्र भी देना होगा कि वह दिनांक 31.01.2019 तक व्यवस्थित वार्षिक एम0जी0क्यू0 के आधार पर माह जनवरी,2019 तक आगणित समानुपातिक एम0जी0क्यू0 से 6 प्रतिशत अधिक की निकासी लेगा तथा वर्ष 2018-19 हेतु व्यवस्थित वार्षिक एम0जी0क्यू0 से 6 प्रतिशत अथवा उससे अधिक की निकासी 15 मार्च, 2019 के पूर्व सुनिश्चित कर लेगा। विफलता की दशा में उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जाये तथा उसकी वर्ष 2018-19 की प्रतिभूति का 15 प्रतिशत एवं वर्ष 2019-20 की नवीनीकरण फीस व बेसिक लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाये। प्रतिभूति की जब्ती की दशा में वर्ष 2018-19 हेतु आवश्यक प्रतिभूति की प्रतिपूर्ति करेगा।

प्रतिबंध यह होगा कि यदि कोई देशी मदिरा की दुकान दिनांक 01.04.2018 के पश्चात व्यवस्थित अथवा मध्यसत्र मे पुनर्व्यवस्थित हुयी है, तब संचालन अवधि में वर्तमान अनुज्ञापी द्वारा ली गयी निकासी को समानुपातिक रूप से बढ़ाते हुये आगणन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

नवीनीकरण की प्रक्रिया

(क) सर्वप्रथम संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समस्त व्यवस्थित देशी मदिरा दुकानों की सूची, संबंधित देयताओं एवं उपरोक्त आवश्यक अर्हताओं के विवरण के साथ न्यूनतम 02 बहुप्रचलित स्थानीय समाचार पत्रों में और जनपद की वेबसाइट पर विज्ञप्ति प्रकाशित कराकर उक्त सूची में अंकित दुकानों के अनुज्ञापियों से नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन मांगे जायेंगे।

(ख) उक्त सूची में वर्णित दुकानों के वर्ष 2018-19 के अनुज्ञापियों में से नवीनीकरण हेतु इच्छुक अनुज्ञापी द्वारा नवीनीकरण प्रार्थना पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत किया जायेगा, उपरोक्त वर्णित शपथ-पत्र अपलोड किया जायेगा तथा प्रोसेसिंग फीस और जी0एस0टी0 की धनराशि को ऑनलाइन जमा किया जायेगा। आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 03 कार्य दिवस के अंदर लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा नवीनीकरण पर निर्णय लेते हुये संबंधित इच्छुक अनुज्ञापी को नवीनीकरण शुल्क तथा दुकान की वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस की 50 प्रतिशत धनराशि 03 कार्य दिवस के अंदर जमा करने का निर्देश दिया जायेगा। शेष 50 प्रतिशत धनराशि 28 फरवरी, 2019 तक अनुज्ञापी को जमा करना अनिवार्य होगा। प्रतिभूति धनराशि के अंतर की धनराशि अनुज्ञापी द्वारा 31 मार्च, 2019 तक जमा की जा सकेगी।

(ग) अनुज्ञापी द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने पर अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र का पालन न करने पर उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसकी वर्ष 2018-19 की प्रतिभूति का 15 प्रतिशत एवं वर्ष 2019-20 की नवीनीकरण फीस व बेसिक लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

नवीनीकरण से अवशेष दुकानों का व्यवस्थापन ई-लाटरी की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

2.1.11 देशी मदिरा की दुकानों की नवीनीकरण फीस:-

वर्ष 2017-18 के नवीनीकरण शुल्क में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये अगले 5000 के गुणक में वर्ष 2019-20 के लिए निम्नानुसार नवीनीकरण फीस निर्धारित की जाती है:-

क्र0सं0	निकाय	वर्ष 2017-18 हेतु निर्धारित दर (रुपये में)	वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित दर (रुपये में)
1	नगर निगम क्षेत्र की दुकानों के लिए	60,000 प्रति दुकान	75,000 प्रति दुकान
2	नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों के लिए	55,000 प्रति दुकान	70,000 प्रति दुकान
3	नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों के लिए	45,000 प्रति दुकान	55,000 प्रति दुकान
4	ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के लिए	19,000 प्रति दुकान	25,000 प्रति दुकान

2.1.12 देशी मदिरा की थोक आपूर्ति हेतु अनुज्ञापी का चयन-

वर्ष 2018-19 हेतु प्रदेश की देशी मदिरा उत्पादक आसवनियों को किसी जनपद/जनपदों में देशी मदिरा की थोक आपूर्ति, हेतु अनुज्ञापन (सी0एल0-2) स्वीकृत किये गये हैं। यह अनुज्ञापन ऐसे व्यक्तियों को भी दिये गये हैं, जो निम्न अर्हताएं रखते हैं:-

(क) भारत का नागरिक हो,

या

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

भागीदारी वाली फर्म, जिसमें दो से अधिक भागीदार न हों, जो भारत के नागरिक हों। लाइसेंस प्रदान किये जाने के पश्चात् भागीदारी में कोई परिवर्तन अनुमन्य न होगा, परन्तु यदि लाइसेंस किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया हो तो उसकी मृत्यु की दशा में उसके विधिक उत्तराधिकारी यदि अन्यथा पात्र हों, लाइसेंस की शेष अवधि के लिये अनुज्ञापी बने रह सकते हैं। यदि संयुक्त रुप से दो भागीदारों द्वारा लाइसेंस प्राप्त किया गया हो तो किसी एक भागीदार की मृत्यु की स्थिति में जीवित व्यक्ति मृतक के उत्तराधिकारी, यदि अन्यथा पात्र हों, के साथ अनुज्ञापनधारी बने रह सकते हैं या दोनों भागीदारों की मृत्यु की दशा में उनके उत्तराधिकारी, यदि अन्यथा पात्र हों, अनुज्ञापनधारी बने रह सकते हैं। भागीदारों के वैधानिक उत्तरदायित्वों में कोई भेद नहीं किया जायेगा और दोनों सम्मिलित रुप से तथा अलग-अलग उत्तरदायी होंगे।

(ख) 21 वर्ष की आयु से अधिक हों,

(ग) बकायेदार/काली सूची में सम्मिलित या अधिनियम के अन्तर्गत बनायी गयी किसी नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित न किया गया हो।

(घ) राज्य में देशी मदिरा या विदेशी मदिरा का कोई फुटकर अनुज्ञापन न रखता हो।

(ङ) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र का धारक हो तथा उसकी हैसियत संबंधित अनुज्ञापन के लाइसेंस फीस के समतुल्य धनराशि से कम न हो।

(च) आयकरदाता हो तथा अनुज्ञापन से पूर्व वर्ष की आयकर विवरणी प्रस्तुत की गयी हो।

(छ) आधार कार्ड प्रस्तुत किया गया हो।

(ज) निम्नलिखित की पुष्टि में पब्लिक नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया हो:-

(एक) यह कि समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी की दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 (यथासंशेधित) के प्राविधानों के अनुकूल उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर रखता है अथवा उस स्थान पर किराये पर उपयुक्त परिसर का प्रबन्ध कर सकता है।

(दो) यह कि उसके दुकान के प्रस्तावित परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

(तीन) यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तथा उनको संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी अधिनियम, 1985 अथवा किसी संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध में दण्डित नहीं किया गया है।

(चार) यह कि अनुज्ञापी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में जिला, जहां का वह निवासी है, के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र लाइसेंस जारी होने के पूर्व प्रस्तुत करेगा कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक इतिहास नहीं है।

(पांच) यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता के रूप मे नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि हो, जैसा कि उपरोक्त उपखण्ड (तीन) में उल्लिखित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

है या जो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो या 21 वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो।

(छः) यह कि उस पर कोई लोक या राजकीय देयता का बकाया नहीं है।

(सात) यह कि ऋणशोधनक्षम है और आवश्यक निधि रखता है या उसने कारोबार के संचालन के लिए आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है, जिसका ब्यौरा, यदि अपेक्षित होगा, तो लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

उपरोक्त व्यवस्था को वर्ष 2019-20 हेतु भी यथावत् बनाये रखा जाता है।

<u>अन्य व्यवस्थायें</u>:-

1. जिन जनपदों में आपूर्ति में बाधा आयेगी, उन जनपदों हेतु देशी मदिरा की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिये आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा निकटतम किसी अन्य जनपद/जनपदों के सी0एल0-2 अनुज्ञापी को भी सम्बद्ध किया जा सकेगा, जो संबद्ध किये गये अनुज्ञापी पर बाध्यकारी होगा। इस हेतु सम्बद्ध किये गये सी0एल0-2 अनुज्ञापन द्वारा आपूर्ति प्राप्त करने वाले जनपद हेतु निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस को मासिक रूप से 1/12 भाग के रूप में आपूर्ति प्राप्तकर्ता जनपद में अग्रिम जमा किया जायेगा।

2. आपूर्ति प्राप्त करने वाले जनपद का सम्बद्धीकरण आदेश प्राप्त होने की तिथि से 3 कार्य दिवसों के अंदर आपूर्तिकर्ता सी0एल0-2 अनुज्ञापी द्वारा उपरोक्त अतिरिक्त लाइसेंस फीस जमा की जायेगी। उसके बाद आगामी माह के लिये सम्बद्धीकरण आदेश प्रभावी रहने की स्थिति में उक्त माह के लिये मासिक लाइसेंस फीस सम्बन्धित माह के प्रथम कार्य दिवस को जमा करायी जायेगी।

3. आपूर्तिकर्ता अनुज्ञापियों द्वारा उक्त निर्धारित लाइसेंस फीस समयान्तर्गत जमा करायी जायेगी और संबंधित जिला आबकारी अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि उक्त लाइसेंस फीस मदिरा की निकासी से पूर्व आपूर्तिकर्ता अनुज्ञापी द्वारा जमा कर दी गयी है। जिला आबकारी अधिकारी अतिरिक्त लाइसेंस फीस की जमा के विवरण सहित सूचना संबंधित ट्रेजरी चालान/ई-चालान की प्रमाणित प्रति के साथ माह की 05वीं तिथि तक आयुक्तालय तथा संबंधित संयुक्त/उप आबकारी आयुक्त को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. आपूर्तिकर्ता सी0एल0-2 अनुज्ञापी द्वारा उक्त अतिरिक्त लाइसेंस फीस, देशी मदिरा प्राप्त करने वाले फुटकर अनुज्ञापियों से अतिरिक्त रूप से वसूल नहीं की जायेगी।

5. अनुज्ञापी को अनुज्ञापित परिसर के निकासी गेट पर एवं गोदाम के अन्दर अच्छी गुणवत्ता का सी0सी0टी0वी0 कैमरा जिसे आई0पी0 एड्रेस के माध्यम से मुख्यालय से देखा जा सके, लगाना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त अनुज्ञापी को गोदाम पर कम्प्यूटर स्थापित कर निर्धारित प्रारुपों में सूचना संकलित करना एवं उसका आदान-प्रदान सूचना प्रौद्योगिकी/इलेक्ट्रानिक माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा।

6. अनुज्ञापी को ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली हेतु आवश्यक व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

2.1.13 <u>देशी मदिरा की थोक आपूर्ति हेतु प्रोसेसिंग फीस एवं अनुज्ञापन शुल्क-</u>

वर्ष 2018-19 हेतु सी0एल0-2 अनुज्ञापन जनपदवार स्वीकृत किये गये हैं। वर्ष 2019-20 हेतु भी सी0एल0-2 अनुज्ञापन जनपदवार निम्न प्रतिबंधों के साथ स्वीकृत किये जायेंगे:-

(1) अनुज्ञापन प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ रू0 75,000/- प्रोसेसिंग फीस के रुप में तथा इस पर तत्समय प्रचलित दर से जी0एस0टी नियमानुसार लिया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) लाइसेंस फीस की दरों को वर्ष 2018-19 की भांति यथावत् रखा जाता है।

(3) सी0एल0-2 अनुज्ञापन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने अथवा वापस लिये जाने के अनुरोध मान्य नहीं होंगे।

2.1.14 <u>देशी मदिरा की आपूर्ति</u>:-

वर्ष 2018-19 में देशी मदिरा की आपूर्ति निम्नवत् तीव्रता एवं धारिता में कांच/पेट बोतलों में किये जाने का प्राविधान है:-

क्र0सं0	देशी मदिरा की श्रेणी	धारिता (मि0ली0 में)
1	42.8% वी/वी(मसाला)	200
2	36% वी/वी(मसाला)	200
3	25% वी/वी(सादा/मसाला)	200

वर्ष 2018-19 में प्रदेश में देशी मदिरा का उपभोग मुख्यतः 42.8 प्रतिशत तीव्रता (29.97%), 36 प्रतिशत तीव्रता (51.44%) एवं 25 प्रतिशत तीव्रता (18.59%) में हो रहा है। इसके अतिरिक्त बिक्री केवल 200 एम0एल0 की बोतलों में हो रही है। अतः वर्ष 2019-20 हेतु देशी मदिरा की आपूर्ति 42.8 प्रतिशत तीव्रता(मसाला), 36 प्रतिशत तीव्रता(मसाला) एवं 25 प्रतिशत तीव्रता (सादा/मसाला) में मात्र 200 एम0एल0 की धारिता वाली कांच/पेट बोतलों में इस प्रतिबंध के साथ रखा जाता है कि पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से न्यूनतम 5 प्रतिशत देशी मदिरा की आपूर्ति कांच की बोतलों में की जायेगी। 3 माह पश्चात कांच की बोतलों में आपूर्ति की समीक्षा की जायेगी।

पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित किये जाने हेतु विशेष रूप से यह प्राविधान किया जाता है कि पेट बोतलों में देशी मदिरा की आपूर्ति करने वाली आसवनियों द्वारा प्रयुक्त बोतलों को एकत्रित किये जाने तथा इसका निस्तारण किये जाने की व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा।

2.1.15 <u>देशी मदिरा के ब्राण्डों की रजिस्ट्रेशन फीस</u>:-

देशी मदिरा के ब्राण्डों की वर्ष 2018-19 में निर्धारित ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस रु0 50,000/- प्रति ब्राण्ड में रु0 5,000/- की वृद्धि करते हुये वर्ष 2019-20 हेतु रू0 55,000/- प्रति ब्राण्ड निर्धारित किया जाता है।

2.1.16 <u>देशी मदिरा के लेबुलों का अनुमोदन</u>:-

देशी मदिरा के लेबुल अनुमोदन फीस वर्ष 2018-19 में निर्धारित रु0 50,000/- प्रति लेबुल में रु0 5,000/- की वृद्धि करते हुये वर्ष 2019-20 हेतु रू0 55,000/- प्रति लेबुल निर्धारित किया जाता है। लेबुल अनुमोदन ऑनलाइन व्यवस्था के अंतर्गत किया जायेगा जिससे उत्पादन समयांतर्गत सुनिश्चित किया जा सके।

2.1.17 <u>देशी मदिरा की निर्यात/आयात पास फीस:-</u>

वर्ष 2019-20 हेतु देशी मदिरा की निर्यात पास फीस को पूर्व की भांति रु0 10/- प्रति ए0एल0 तथा आयात फीस रु0 1/- प्रति ए0एल0 यथावत् रखा जाता है।

2.1.18 <u>आयातित देशी मदिरा की आपूर्ति</u>:-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में यह अनुभव किया गया है कि मदिरा के संबंध में उपभोक्ताओं की मांग की प्रकृति क्युमुलेटिव प्रकृति की न होकर पेरिशेबिल होने के बावजूद प्रदेश की देशी मदिरा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्पादक आसवनियों द्वारा अपनी पूर्ण अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग करते हुये मांग के अनुरूप देशी मदिरा की आपूर्ति नहीं की जा सकी है। यही कारण है कि देशी मदिरा आसवनियों में इण्डेण्ट अत्यधिक अवधि तक लम्बित रहे। उक्त के आलोक में प्रदेश में वर्ष 2019-20 में देशी मदिरा की आपूर्ति में यदि कठिनाई आती है, तब आ रही कठिनाइयों के निवारण हेतु विशिष्ट परिस्थितियों में ही प्रदेश के बाहर से आयातित देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु निम्नानुसार वैकल्पिक व्यवस्था की जाती हैः-

(1) बी0डब्लू0सी0एल0-1 अनुज्ञापनों द्वारा प्रदेश में आयातित देशी मदिरा की आपूर्ति स्वयं के सी0एल0-2 अनुज्ञापनों को स्वीकृत कराकर उनको अथवा अन्य निजी सी0एल0-2 अनुज्ञापनों को की जा सकेगी।

(2) बी0डब्लू0सी0एल0-1 अनुज्ञापन प्रदेश के बाहर स्थापित ऐसी पेय मदिरा आसवनियों को दिये जायेंगे, जो उत्तर प्रदेश में प्रचलित नियमों और ट्रैक ऐण्ड ट्रेस प्रणाली का पालन करते हुये उत्तर प्रदेश में निर्धारित की गयी गुणवत्ता की देशी मदिरा का निर्माण कर, निर्धारित तीव्रता, दर और पैकिंग में इसकी आपूर्ति करने को इच्छुक हों।

(3) बी0डब्लू0सी0एल0-1 अनुज्ञापन प्रदेश के बाहर की ऐसी आसवनियों को ही स्वीकृत किये जायेंगे जो किसी भी प्रदेश में काली सूची में सम्मिलित न की गयी हों और उन पर कोई शासकीय बकाया न हो तथा आसवनी के विरुद्ध कोई आपराधिक वाद विचाराधीन न हो। इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(4) बी0डब्लू0सी0एल0-1 अनुज्ञापन प्रदेश के बाहर की ऐसी आसवनियों को ही स्वीकृत किये जायेंगे, जिनका गत वित्तीय वर्ष में वार्षिक टर्न ओवर (इस हेतु वर्ष 2019-20 के लिये वर्ष 2017-18 का टर्नओवर विवरण मान्य होगा) 50 करोड़ रुपये (जिसमें राजस्व/प्रतिफल शुल्क सम्मिलित न हो) से अधिक का हो।

(5) बी0डब्लू0सी0एल0-1 अनुज्ञापन प्रदेश के किसी भी आवेदित जनपद में स्वीकृत किये जा सकेंगे।

(6) प्रदेश के बाहर स्थापित पेय मदिरा उत्पादक आसवनियां उत्तर प्रदेश में 01 अथवा 01 से अधिक बी0डब्लू0सी0एल0-1 अनुज्ञापन हेतु आवेदन कर सकती हैं, परन्तु इस प्रत्येक बी0डब्लू0सी0एल0-1 अनुज्ञापन हेतु निर्धारित देयताओं को जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

(7) अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के प्रकरणों में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रेषित प्रस्तावों पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(8) प्रत्येक बी0डब्लू0सी0एल0-1 द्वारा आपूर्ति की जाने वाली देशी मदिरा का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन और लेबुल अनुमोदन कराया जाना अनिवार्य होगा। इस हेतु निर्धारित देयताओं को जमा किया जाना भी अनिवार्य होगा।

(9) बी0डब्लू0सी0एल0-1 अनुज्ञापन की लाइसेंस फीस रु0 10 लाख तथा प्रतिभूति धनराशि रु0 10 लाख निर्धारित की जाती है। प्रतिबंध यह होगा कि मध्य सत्र में अनुज्ञापन स्वीकृत होने की दशा में व्यपगत् अवधि की लाइसेंस फीस नहीं ली जायेगी।

(10) बी0डब्लू0सी0एल0-1 अनुज्ञापन प्राप्त प्रदेश के बाहर की आसवनियां प्रदेश के जनपदों में सी0एल0-2 अनुज्ञापन प्राप्त कर सकेंगी।

(11) बी0डब्लू0सी0एल0-1 अनुज्ञापनों द्वारा ट्रैक ऐण्ड ट्रेस की संपूर्ण व्यवस्था की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2.2 विदेशी मदिरा

2.2.1 आवेदन व प्रोसेसिंग फीस-

वर्ष 2018-19 के लिये प्रोसेसिंग फीस की दर रु0 15,000/- प्रति आवेदन पत्र निर्धारित है। विभाग में ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने एवं ढांचागत विकास में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु तथा व्यवस्थापन की प्रक्रिया में गम्भीर एवं वास्तविक आवेदकों को ही सम्मिलित होने का अवसर दिये जाने तथा अवास्तविक एवं अक्षम व्यक्तियों को प्रक्रिया में भाग लेने से रोकने के लिये प्रोसेसिंग फीस बढ़ाकर वर्ष 2019-20 हेतु रु0 18,000/- प्रति आवेदन पत्र किया जाता है। इस पर तत्समय प्रचलित दर से जी0एस0टी नियमानुसार वसूल किया जायेगा।

2.2.2 विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों की लाइसेंस फीस-

वर्ष 2018-19 हेतु विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों की लाइसेंस फीस का निर्धारण वर्ष 2017-18 में दुकान की वार्षिक लाइसेंस फीस पर 15 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये किया गया है। इस प्रकार प्राप्त लाइसेंस फीस की धनराशि यदि रु0 5,000/- के गुणक में नहीं पायी जाती है, तो उसे बढ़ाकर रु0 5,000/- के अगले स्तर पर राउण्ड ऑफ करके निर्धारित किया गया, परन्तु प्रतिबंध यह था कि यह लाइसेंस फीस संबंधित प्रास्थिति की नवसृजित दुकान के लिये निर्धारित न्यूनतम लाइसेंस फीस से कम नहीं होगी।

वर्ष 2019-20 हेतु विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों की लाइसेंस फीस का निर्धारण वर्ष 2018-19 में दुकान की वार्षिक लाइसेंस फीस पर न्यूनतम 15 प्रतिशत अथवा संबंधित दुकान पर गतवर्ष 2017-18 के सापेक्ष विदेशी मदिरा की बोतलों (750 एम0एल0) के टर्म में हुये उपभोग के सापेक्ष हुयी वृद्धि के प्रतिशत के समतुल्य जो भी अधिक हो, की वृद्धि करते हुये निर्धारित की जायेगी, परन्तु यह वृद्धि अधिकतम 40 प्रतिशत तक ही की जायेगी। इस प्रकार प्राप्त लाइसेंस फीस की धनराशि यदि रु0 5,000/- के गुणक में नहीं पायी जाती है, तो उसे बढ़ाकर रु0 5,000/- के अगले स्तर पर राउण्ड ऑफ करके निर्धारित किया जाएगा। यदि विदेशी मदिरा की कोई दुकान वर्ष 2017-18 में संपूर्ण वर्ष नहीं संचालित हुयी है तब वर्ष 2017-18 में दुकान की संचालन अवधि में इस पर हुये बोतलों के टर्म में उपभोग के आधार पर समानुपातिक रूप से वर्ष 2017-18 के वार्षिक उपभोग का आंकलन किया जायेगा। वर्ष 2018-19 में माह जनवरी,2019 तक हुये उपभोग के आधार पर वार्षिक उपभोग को समानुपातिक रूप से आंकलित किया जायेगा।

प्रतिबंध यह होगा कि जिन दुकानों का वर्ष 2018-19 हेतु व्यवस्थापन द्वितीय चरण अथवा अग्रतर चरणों के व्यवस्थापन में घटे हुये लाइसेंस फीस पर हुआ है, उन दुकानों के वर्ष 2019-20 के लाइसेंस फीस के निर्धारण में उपरोक्त घटे हुये लाइसेंस फीस को संज्ञान में नहीं लिया जायेगा बल्कि ऐसी दुकानों के वर्ष 2019-20 के लाइसेंस फीस निर्धारण में वर्ष 2018-19 हेतु प्रथम चरण के व्यवस्थापन हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस के आधार पर आगणन किया जायेगा।

2.2.3 विदेशी मदिरा की दुकानों का सृजन-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यवस्थित दुकानों की जियो टैगिंग का कार्य शॉप मास्टर में संपन्न हो जाने के पश्चात अवैध मदिरा की तस्करी व बिक्री की रोकथाम तथा असेवित क्षेत्रों में मानक गुणवत्ता की मदिरा की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु वर्ष 2019-20 में विदेशी मदिरा की वर्तमान वर्ष 2018-19 में व्यवस्थित कुल दुकानों की संख्या के 1 प्रतिशत तक दुकानों के सृजन का अधिकार आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 को दिया जाता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वर्ष 2018-19 के लिये नवसृजित विदेशी मदिरा दुकानों की निर्धारित न्यूनतम लाइसेंस फीस में कोई वृद्धि नहीं की गयी थी। अतः वर्ष 2019-20 हेतु नवसृजित विदेशी मदिरा दुकानों की लाइसेंस फीस में 15 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

क्र0सं0	नवसृजित दुकान की प्रास्थिति	वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित न्यूनतम लाइसेंस फीस (रुपये में) प्रति दुकान	वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित न्यूनतम लाइसेंस फीस (रुपये में) प्रति दुकान
1	2	3	4
1	नगर निगम व इसकी सीमा से 03 कि0मी0 की परिधि तक	9,85,000/-	11,30,000/-
2	नगर पालिका व इसकी सीमा से 02 कि0मी0 की परिधि तक	3,35,000/-	3,85,000/-
3	नगर पंचायत व इसकी सीमा से 01 कि0मी0 की परिधि तक	1,60,000/-	1,85,000/-
4	ग्रामीण	85,000/-	1,00,000/-

विदेशी मदिरा की समस्त दुकानों (नवसृजित सहित) की प्रास्थिति का निर्धारण नियमानुसार किया जायेगा। इस संबंध में आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा समय-समय पर प्रसारित परिपत्रों में दिये गये निर्देशों का भी कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2.2.4 <u>विदेशी मदिरा के फुटकर अनुज्ञापनों का वर्ष 2019-20 हेतु नवीनीकरण:-</u>

वर्ष 2018-19 की आबकारी नीति में यह व्यवस्था है कि ''विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों में वर्ष 2018-19 में पूर्व वर्ष की तुलना में 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक प्रतिफल शुल्क होने की स्थिति में वर्ष 2019-20 हेतु तत्समय निर्धारित शर्तों व देयताओं पर यदि अनुज्ञापी चाहे, तो उसके अनुज्ञापन के नवीनीकरण की व्यवस्था अनुमन्य की जायेगी।"

वर्ष 2018-19 में नवसृजित विदेशी मदिरा दुकानों का नवीनीकरण नहीं किया जायेगा, क्योंकि ऐसी दुकानों पर गतवर्ष के सापेक्ष 40 प्रतिशत अधिक राजस्व का आंकलन किया जाना संभव नहीं है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017-18 तथा पूर्ववर्ती वर्षो में विदेशी मदिरा के उपभोग के आंकड़ों का संकलन जनपदीय कार्यालयों में 750 एम0एल0 की बोतलों के टर्म में किया जाता था। उपभोग पर प्राप्त राजस्व का आगणन औसत कुल प्रतिफल फीस प्रति बोतल(750 एम0एल0) के आधार पर किया जाता था। विदेशी मदिरा के उपभोग का विवरण ब्राण्डवार/धारितावार संकलित नहीं होता था। तत्क्रम में वर्ष 2017-18 में विदेशी मदिरा के राजस्व का आंकलन किये जाने हेतु औसत कुल प्रतिफल फीस रु0 318/- प्रति बोतल (750 एम0एल0) निर्धारित करते हुये आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा परिपत्र संख्या-574-732/आठ-सांख्यिकी/राजस्व/4/लक्ष्य/2017-18, दिनांक 23.05.2017 निर्गत किया गया था।

अतः वर्ष 2018-19 में नवीनीकरण/व्यवस्थापन हेतु गणना के लिये माह जनवरी,2019 तक दुकान पर हुये उपभोग में सन्निहित राजस्व के आधार पर समानुपातिक रुप से वार्षिक उपभोग पर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कुल प्रतिफल फीस (अतिरिक्त प्रतिफल फीस सहित) का आगणन किया जायेगा। यदि वर्तमान वर्ष 2018-19 के लिये कुल प्रतिफल फीस का आगणन, गतवर्ष की कुल प्रतिफल फीस (गतवर्ष का बोतल में उपभोग × रु0 318/प्रति बोतल) के आगणन से 40 प्रतिशत से अधिक आगणित हो, तो दुकान को नवीनीकृत किया जायेगा। इस हेतु वर्ष 2017-18 में दुकान पर उसकी संचालन अवधि में हुये उपभोग (750 एम0एल0 की बोतलों के टर्म में) के आधार पर समानुपातिक रूप से वार्षिक उपभोग का आंकलन किया जायेगा।

वर्ष 2019-20 में दुकानों का नवीनीकरण निम्नांकित शर्तों के अधीन किया जाएगा:-

1- अंतिम व्यपगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

2- वर्ष 2018-19 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

3- अनुज्ञापी को इस आशय का शपथ पत्र भी देना होगा कि दिनांक 31.01.2019 तक उसकी दुकान पर हुये उपभोग में सन्निहित प्रतिफल शुल्क (अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क सहित) गत वित्तीय वर्ष की समान अवधि में हुये आंकलित समानुपातिक उपभोग में सन्निहित राजस्व से 40 प्रतिशत अधिक होगा। इसी प्रकार 15 मार्च, 2019 तक दुकान पर संपूर्ण वर्ष 2017-18 में हुये समानुपातिक उपभोग में सन्निहित प्रतिफल शुल्क (अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क सहित) से 40 प्रतिशत अधिक प्रतिफल शुल्क (अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क सहित) के समतुल्य की निकासी प्राप्त करते हुये दिनांक 31.03.2019 तक उपभोग सुनिश्चित करेगा। विफलता की दशा में उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जाये तथा उसकी वर्ष 2018-19 की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2019-20 की नवीनीकरण फीस व लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाये। प्रतिभूति की जब्ती की दशा में वर्ष 2018-19 हेतु आवश्यक प्रतिभूति की प्रतिपूर्ति करेगा।

प्रतिबंध यह होगा कि यदि कोई विदेशी मदिरा की दुकान दिनांक 01.04.2018 के पश्चात व्यवस्थित अथवा मध्यसत्र मे पुनर्व्यवस्थित हुयी है, तब संचालन अवधि में दुकान पर हुये उपभोग में सन्निहित प्रतिफल शुल्क (अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क सहित) को समानुपातिक रूप से बढ़ाते हुये आगणन किया जायेगा।

<u>नवीनीकरण की प्रक्रिया</u>

(क) सर्वप्रथम संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समस्त व्यवस्थित विदेशी मदिरा दुकानों की सूची, संबंधित देयताओं एवं उपरोक्त आवश्यक अर्हताओं का विवरण न्यूनतम 02 बहु प्रचलित स्थानीय समाचार पत्रों और जनपद की वेबसाइट पर विज्ञप्ति प्रकाशित कराकर उक्त सूची में अंकित दुकानों के अनुज्ञापियों से नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन मांगे जायेंगे।

(ख) उक्त सूची में वर्णित दुकानों के वर्ष 2018-19 के अनुज्ञापियों में से नवीनीकरण हेतु इच्छुक अनुज्ञापी द्वारा नवीनीकरण प्रार्थना पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत किया जायेगा तथा प्रॉसेसिंग फीस और जी0एस0टी0 की धनराशि को ऑनलाइन जमा किया जायेगा एवं उपरोक्त शपथ-पत्र अपलोड किया जायेगा। आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 03 कार्य दिवस के अंदर लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा नवीनीकरण पर निर्णय लेते हुये संबंधित इच्छुक अनुज्ञापी को नवीनीकरण शुल्क तथा दुकान की वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस की 50 प्रतिशत धनराशि 03 कार्य दिवस के अंदर जमा करने का निर्देश दिया जायेगा। शेष 50 प्रतिशत धनराशि 28 फरवरी, 2019 तक अनुज्ञापी को जमा करना

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अनिवार्य होगा। प्रतिभूति धनराशि के अंतर की धनराशि अनुज्ञापी द्वारा 31 मार्च, 2019 तक जमा की जा सकेगी।

(ग) अनुज्ञापी द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने पर अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र का पालन न करने पर उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसकी वर्ष 2018-19 की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2019-20 की नवीनीकरण फीस व लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी। प्रतिभूति की जब्ती की दशा में वर्ष 2018-19 हेतु आवश्यक प्रतिभूति की प्रतिपूर्ति अनुज्ञापी को करना अनिवार्य होगा।

नवीनीकरण से अवशेष दुकानों का व्यवस्थापन ई-लाटरी की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

2.2.5 <u>विदेशी मदिरा की दुकानों की नवीनीकरण फीस:-</u>

वर्ष 2017-18 के नवीनीकरण शुल्क में वृद्धि करते हुये वर्ष2019-20 के लिए नवीनीकरण फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

क्र0सं0	निकाय	वर्ष 2017-18 हेतु निर्धारित दर (रुपये में)	वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित दर (रुपये में)
1	नगर निगम क्षेत्र की दुकानों के लिए	70,000 प्रति दुकान	85,000 प्रति दुकान
2	नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों के लिए	60,000 प्रति दुकान	75,000 प्रति दुकान
3	नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों के लिए	45,000 प्रति दुकान	55,000 प्रति दुकान
4	ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के लिए	23,000 प्रति दुकान	30,000 प्रति दुकान

2.2.6 <u>विदेशी मदिरा की प्रतिफल फीस एवं एम0आर0पी0 का निर्धारण</u>:-

विदेशी मदिरा उत्पादक आसवनियों द्वारा अपने ब्राण्ड हेतु घोषित एक्स डिस्टिलरी प्राइस (ई0डी0पी0) पर विदेशी मदिरा के मूल्य निर्धारण का सूत्र वर्ष 2019-20 हेतु निम्नवत् निर्धारित किया जाता है:-

1. विदेशी मदिरा ब्राण्ड के मूल्य निर्धारण हेतु आसवनी/बाण्डधारक इकाई आवेदन पत्र के साथ नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित इस आशय का शपथ-पत्र संलग्न करेगी कि संबंधित ब्राण्ड के लिये उनके द्वारा घोषित ई0डी0पी0 कॉस्ट एकाउटेन्ट द्वारा प्रमाणित है, जो उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों यथा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चण्डीगढ़, उत्तराखण्ड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, हिमाचल प्रदेश एवं बिहार (सम्प्रति बिहार में मद्यनिषेध है) में घोषित न्यूनतम ई0डी0पी0 के समतुल्य अथवा उससे कम है। शपथ पत्र में यह भी उल्लेख किया जायेगा कि जांच में अभिकथन असत्य पाये जाने पर प्रतिभूति में से रू0 1,00,000/- जब्त करते हुये ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जायेगा।
2. वर्ष 2019-20 में प्रतिफल फीस तथा थोक/फुटकर विक्रेता के मार्जिन का आगणन वर्ष 2018-19 हेतु प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार ही किया जायेगा।
3. सम्प्रति 750 एम0एल0 की बोतल के सापेक्ष छोटी धारिताओं में प्रत्येक धारिता के लिये ई0डी0पी0 का आगणन धारिता के अनुरुप समानुपातिक रूप से किया जाता है। आगणन प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

EDP(375)=(EDP(750))*375/750
EDP(180)=(EDP(750))*180/750

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. यह अनुभव किया गया है कि विभिन्न इकाइओं द्वारा अपने ब्राण्डस की भराई देश/प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अनुबन्ध के अन्तर्गत कराई जाती है। जब उक्त ब्राण्ड भराई/बोतल करने वाली इकाई द्वारा ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो प्रायः अनुबन्ध की प्रति नहीं लगाई जाती है। अतः यह आवश्यक है कि ऐसे प्रकरणों में स्पष्ट उल्लेख किया जाये कि उक्त ब्राण्ड मूल रुप से अमुक इकाई का है, जिसकी भराई संबंधित इकाई (आवेदनकर्ता इकाई) के द्वारा की जाती है। इस आशय के संबंध में ब्राण्ड ओनर का प्रमाण पत्र भी अनिवार्य रुप से प्राप्त किया जायेगा।

5. विदेशी मदिरा के अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य (एम0आर0पी0) का आगणन उपरोक्त सूत्र के अनुसार किये जाने पर यदि रु0 10/- के गुणांक में नहीं प्राप्त होता है, तो उसे 10/- के गुणांक में अगले स्तर पर निर्धारित किया जायेगा तथा अन्तर की धनराशि अतिरिक्त प्रतिफल फीस के रुप में देय होगी।

भारत निर्मित विदेशी मदिरा (आई.एम.एफ.एल.) की प्रतिफल फीस एवं एम0आर0पी0 का निर्धारण

क्र0सं0	**ई0डी0पी0 की श्रेणी प्रति बोतल (750एम0एल0) (E)**	**श्रेणी का नाम**	**प्रतिफल फीस प्रति बोतल (750एम0एल0) (D)**	**थोक विक्रेता का मार्जिन (WM)**	**फुटकर विक्रेता का मार्जिन (RM)**	**एम.आर.पी. का सूत्र (MRP)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	0 से 70 तक	इकोनोमी	रु0 240+ ई0डी0पी0 का 75**%**	रु0 3.75+ ई0डी0पी0 का 3.00**%**	रु0 60+ ई0डी0पी0 का 20**%**	कालम 2+4+5+6 का योग
2	70 से अधिक 125 तक	मीडियम	रु0 262+ ई0डी0पी0 का 82**%**	रु0 4.00+ ई0डी0पी0 का 2.80**%**	रु0 60+ ई0डी0पी0 का 20**%**	कालम 2+4+5+6 का योग
3	125 से अधिक 250 तक	रेगूलर	रु0 270+ ई0डी0पी0 का 83**%**	रु0 4.00+ ई0डी0पी0 का 2.80**%**	रु0 75+ ई0डी0पी0 का 10**%**	कालम 2+4+5+6 का योग
4	250 से अधिक 400 तक	प्रीमियम	रु0 275+ ई0डी0पी0 का 85**%**	रु0 4.75+ ई0डी0पी0 का 2.50**%**	रु0 75+ ई0डी0पी0 का 10**%**	कालम 2+4+5+6 का योग
5	400 से अधिक 600 तक	सुपर प्रीमियम	रु0 290+ ई0डी0पी0 का 105**%**	रु0 4.75+ ई0डी0पी0 का 2.50**%**	रु0 85+ ई0डी0पी0 का 7.5**%**	कालम 2+4+5+6 का योग
6	600 से अधिक	स्कॉच	रु0 300+ ई0डी0पी0 का 105**%**	रु0 4.75+ ई0डी0पी0 का 2.50**%**	रु0 85+ ई0डी0पी0 का 7.5**%**	कालम 2+4+5+6 का योग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2.2.7 <u>विदेशी मदिरा का ई0एन0ए0 से निर्माण</u>:-

वर्ष 2008-09 की आबकारी नीति में विदेशी मदिरा की सभी श्रेणियों का निर्माण ई0एन0ए0 से करने की व्यवस्था प्रभावी की गयी थी। यह व्यवस्था अद्यतन भी प्रचलित है, जिसे वर्ष 2019-20 में भी यथावत् प्रचलित रखा जाता है।

2.2.8 <u>विदेशी मदिरा की थोक आपूर्ति:-</u>

(क) <u>एफ0एल0-2 अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन</u>

वर्ष 2018-19 हेतु एफ0एल0-2 अनुज्ञापन जनपदवार स्वीकृत किये गये हैं। वर्ष 2019-20 हेतु भी एफ0एल0-2 अनुज्ञापन जनपदवार स्वीकृत किये जायेंगे। अनुज्ञापन प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ रु0 75,000/- प्रोसेसिंग फीस के रुप में तथा इस पर तत्समय प्रचलित दर से जी0एस0टी नियमानुसार ली जायेगी।

(ख) <u>एफ0एल0-2 अनुज्ञापन का अनुज्ञापन शुल्क</u>

एफ0एल0-2 अनुज्ञापनों की वर्ष 2018-19 हेतु लाइसेंस फीस की 03 श्रेणियां निम्नवत् निर्धारित हैं-

क्र0सं0	जनपद का नाम	लाइसेंस फीस प्रति अनुज्ञापन (लाख रुपये में)	प्रतिभूति धनराशि प्रति अनुज्ञापन (लाख रुपये में)
1	**2**	**3**	**4**
1	वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर नगर, मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, आगरा, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, मथुरा।	25.0	2.50
2	गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, आजमगढ, देवरिया, कुशीनगर, बिजनौर, बुलन्दशहर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, फिरोजाबाद।	20.0	2.00
3	उपरोक्त जनपदों को छोड़कर प्रदेश के शेष जनपद।	15.0	1.50

वर्ष 2019-20 हेतु लाइसेंस फीस की उपरोक्त श्रेणियों तथा अनुज्ञापन शुल्क को यथावत् बनाये रखा जाता है।

इसके अतिरिक्त निम्नांकित शर्तें पूर्ण करना आवश्यक होगा:-

(1) आवेदक सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र का धारक हो तथा उसकी हैसियत अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र में अंकित मूल्य संबंधित अनुज्ञापन के लाइसेंस फीस के समतुल्य धनराशि के दो गुने से कम न हो। दिनांक 01.01.2018 के पश्चात बनाया गया हैसियत प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

(2) आवेदक आयकरदाता हो तथा अनुज्ञापन से पूर्व वर्ष की आयकर विवरणी प्रस्तुत की गयी हो।

(3) आवेदक द्वारा आधार कार्ड प्रस्तुत किया गया हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(ग) **<u>एफ0एल0-2 अनुज्ञापनों से अन्य जनपद को विदेशी मदिरा की आपूर्ति हेतु अतिरिक्त लाइसेंस फीस</u>**

एफ0एल0-2 अनुज्ञापी द्वारा अपने जनपद के अतिरिक्त अन्य जनपद को विदेशी मदिरा की आपूर्ति करने हेतु अतिरिक्त लाइसेंस फीस अदा करने तथा उसे जमा करने की वर्ष 2018-19 की प्रक्रिया को वर्ष 2019-20 के लिये निम्न प्रतिबन्धों के साथ यथावत् बनाये रखा जाता हैः-

1. जिन जनपदों हेतु एफ0एल0-2 अनुज्ञापन 15.03.2019 तक व्यवस्थित नहीं हो पाते हैं अथवा वर्ष 2019-20 में किसी जनपद में मदिरा की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हो रही हो, तो उन जनपदों हेतु विदेशी मदिरा की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिये आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा निकटतम किसी अन्य जनपद के एफ0एल0-2 अनुज्ञापी को सम्बद्ध किया जायेगा। इस हेतु सम्बद्ध किये गये एफ0एल0-2 अनुज्ञापन से संबंधित जनपद की लाइसेंस फीस अतिरिक्त रुप से वसूली जायेगी जो आपूर्ति प्राप्त करने वाले जनपद में मासिक रूप से 1/12 भाग अथवा उक्त अवधि के लिये समानुपातिक रूप में अग्रिम जमा की जायेगी।

2. आपूर्ति प्राप्त करने वाले जनपद का सम्बद्धीकरण आदेश प्राप्त होने की तिथि से 3 कार्य दिवसों के अंदर आपूर्तिकर्ता एफ0एल0-2 अनुज्ञापी द्वारा उपरोक्त लाइसेंस फीस जमा की जायेगी। उसके बाद आगामी माह के लिये सम्बद्धीकरण आदेश प्रभावी रहने की स्थिति में उक्त माह के लिये मासिक लाइसेंस फीस सम्बन्धित माह के प्रथम कार्य दिवस को जमा करायी जायेगी।

3. आपूर्तिकर्ता अनुज्ञापियों द्वारा उक्त निर्धारित लाइसेंस फीस समयान्तर्गत जमा करायी जायेगी और संबंधित जिला आबकारी अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि उक्त लाइसेंस फीस मदिरा की निकासी से पूर्व आपूर्तिकर्ता अनुज्ञापी द्वारा जमा कर दी गयी है। जिला आबकारी अधिकारी अतिरिक्त लाइसेंस फीस की जमा की गयी धनराशि के विवरण सहित सूचना संबंधित ट्रेजरी चालान/ई-चालान की प्रमाणित प्रति के साथ माह की 05वीं तिथि तक आयुक्तालय तथा संबंधित संयुक्त/उप आबकारी आयुक्त को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

4. आपूर्तिकर्ता एफ0एल0-2 अनुज्ञापी द्वारा उक्त अतिरिक्त लाइसेंस फीस, विदेशी मदिरा प्राप्त करने वाले फुटकर अनुज्ञापियों से अतिरिक्त रूप से वसूल नहीं की जायेगी।

5. अनुज्ञापी को अनुज्ञापित परिसर के निकासी गेट पर एवं गोदाम के अन्दर अच्छी गुणवत्ता का सी0सी0टी0वी0 कैमरा जिसे आई0पी0 एड्रेस के माध्यम से मुख्यालय से देखा जा सके, लगाना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त अनुज्ञापी को गोदाम पर कम्प्यूटर स्थापित कर निर्धारित प्रारुपों में सूचना संकलित करना एवं उसका आदान-प्रदान सूचना प्रौद्योगिकी/इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा।

6. अनुज्ञापी को ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली हेतु आवश्यक व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

(घ) <u>समुद्रपार से आयातित विदेशी मदिरा/बीयर की थोक बिक्री के एफ0एल0-2डी अनुज्ञापनों का अनुज्ञापन शुल्क</u>

वर्ष 2018-19 में एफ0एल0-2डी अनुज्ञापनों की निर्धारित लाइसेंस फीस रू0 5,00,000/- वार्षिक प्रति अनुज्ञापन को रू0 1,00,000/- बढ़ाते हुये वर्ष 2019-20 हेतु रू0 6,00,000/- वार्षिक प्रति अनुज्ञापन निर्धारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुज्ञापन हेतु प्रोसेसिंग फीस के रूप में रू0 60,000/- प्रति आवेदन लिया जायेगा। जी0एस0टी0 की धनराशि पृथक से जमा करनी होगी।

2.2.9 <u>एफ0एल0-9/9ए अनुज्ञापनों की लाइसेंस एवं प्रतिफल फीस</u>:-

सैन्य कैन्टीन में विदेशी मदिरा की बिक्री एफ0एल0-9 अनुज्ञापन से तथा रियायती रम एफ0एल0-9ए के माध्यम से आपूर्ति की जाती है। वर्ष 2018-19 के लिये एफ0एल0-9/9ए अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस विदेशी मदिरा हेतु रु0 27/- प्रति बोतल (750 एम0एल0) तथा बीयर हेतु रु0 6/- प्रति बोतल (650 एम0एल0) निर्धारित है। एफ0एल0-9/9ए के अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस में मात्र 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये अगले रुपये में राउण्ड ऑफ कर वर्ष 2019-20 हेतु विदेशी मदिरा के लिये रु0 30/- प्रति बोतल (750 एम0एल0) तथा बीयर के लिये रु0 7/- प्रति बोतल (650 एम0एल0) लाइसेंस फीस निर्धारित किया जाता है।

एफ0एल0-9 अनुज्ञापनों के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा की प्रतिफल फीस गत वर्षों की भांति सिविल हेतु अनुमन्य प्रतिफल फीस की आधी धनराशि के आरोपण की व्यवस्था को वर्ष 2019-20 हेतु यथावत् रखा जाना है।

2.2.10 <u>एफ0एल0-9ए अनुज्ञापन के अन्तर्गत रियायती रम की ई0डी0पी0</u>:-

वर्ष 2018-19 हेतु एफ0एल0-9ए अनुज्ञापनों के अन्तर्गत रियायती रम की आपूर्ति इकोनोमी श्रेणी की विदेशी मदिरा की ई0डी0पी0 रुपये 0 से 70 तक के अनुसार अनुमन्य है। इस व्यवस्था को वर्ष 2019-20 हेतु यथावत् बनाये रखा जाता है।

2.2.11 <u>भारत निर्मित विदेशी मदिरा का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन</u>:-

भारत निर्मित विदेशी मदिरा की ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस वर्ष 2018-19 हेतु रू0 75,000/- प्रति ब्राण्ड निर्धारित है। उक्त ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस में रु0 10,000/- की वृद्धि करते हुये वर्ष 2019-20 हेतु ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस रुपये 85,000/- प्रति ब्राण्ड निर्धारित की जाती है।

2.2.12 <u>अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन</u>:-

वर्ष 2018-19 में अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा की ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस प्रति ब्राण्ड रु0 75,000/- निर्धारित है। उक्त ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस में रु0 10,000/- की वृद्धि करते हुये वर्ष 2019-20 हेतु ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस भारत निर्मित विदेशी मदिरा के ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन के समतुल्य रुपये 85,000/- प्रति ब्राण्ड निर्धारित की जाती है।

2.2.13 <u>अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा पर एम0आर0पी0 अंकित किये जाने का प्राविधान</u>:-

अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा की बोतलों पर वर्ष 2018-19 में एम.आर.पी. और अन्य "लीजेण्ड" मुद्रित करने हेतु निम्न व्यवस्था अनुमन्य है-

1. आयातित मदिरा की बोतलों पर न्यूनतम 70 मिलीमीटर × 35 मिलीमीटर साइज का सफेद रंग का स्टिकर चस्पा किया जायेगा।
2. उक्त स्टिकर पर सामान्य स्वस्थ आंखों से स्पष्ट पठनीय काले रंग के अक्षरों में अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य (एम0आर0पी0), "Consumption of Liquor is Injurious to Health" तथा आयातक व वितरक का नाम व पूर्ण पता अंकित किया जायेगा।
3. उक्त स्टिकर पर लाल रंग से न्यूनतम 3 मिलीमीटर साइज के अक्षरों में "For Sale in Uttar Pradesh only" विकर्णवत (Diagonally) अंकित किया जायेगा।

इस व्यवस्था को वर्ष 2019-20 हेतु यथावत् बनाये रखा जाता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2.2.14 <u>प्रतिरक्षा सेवाओं हेतु विदेशी मदिरा का थोक अनुज्ञापन एफ0एल0-2ए</u>:-

प्रतिरक्षा सेवाओं एवं अन्य केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों को विदेशी मदिरा की थोक आपूर्ति हेतु एफ0एल0-2ए अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाते हैं। उक्त एफ0एल0-2ए अनुज्ञापन की लाइसेंस फीस वर्ष 2018-19 हेतु रू0 5,000/- वार्षिक निर्धारित है, जिसे वर्ष 2019-20 में बढ़ाकर रु0 10,000/- वार्षिक निर्धारित किया जाता है।

2.2.15 <u>एफ0एल0-1/एफ0एल0-1ए (आसवनी स्तर से विदेशी मदिरा/बीयर की आपूर्ति के थोक अनुज्ञापन)</u>:-

वर्ष 2018-19 हेतु एफ0एल0-1/एफ0एल0-1ए अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस रु0 5,00,000/- एवं प्रतिभूति धनराशि रु0 50,000/- प्रति अनुज्ञापन निर्धारित है, जिसमें रु0 1,25,000/- की वृद्धि करते हुये वर्ष 2019-20 हेतु एफ0एल0-1/एफ0एल0-1ए अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस रु0 6,25,000/- एवं प्रतिभूति धनराशि रु0 62,500/- प्रति अनुज्ञापन निर्धारित की जाती है।

इसके अतिरिक्त एफ0एल0-1/एफ0एल0-1ए का अनुज्ञापन आबकारी आयुक्त स्तर से ही निर्गत किये जाने का प्राविधान किया जाता है। इस आशय के प्राविधान लागू किये जायेंगे कि एफ0एल0-1/एफ0एल0-1ए अनुज्ञापनों को अगले वित्तीय वर्ष हेतु निर्धारित देयताओं को जमा कराते हुये नवीनीकृत कराया जा सके। औचित्य एवं राजस्वहित के आधार पर उपरोक्त अनुज्ञापन आसवनी/यवासवनी परिसर के बाहर एक अथवा एक से अधिक संख्या में स्वीकृत किये जा सकेंगे। प्रतिबंध यह होगा कि यदि उक्त अनुज्ञापनों के संचालन के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आते हैं, तब नवीनीकरण के संबंध में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

2.2.16 (1) <u>बी0डब्लू0एफ0एल0-2ए/2बी/2सी/2डी अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस (अन्य प्रान्तों के आसवक/यवासक/द्राक्षासवक एवं एल0ए0बी0 निर्माताओं के लिए)</u>:-

बी0डब्लू0एफ0एल0-2ए/ 2बी/ 2सी/ 2डी अनुज्ञापनों की वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस के सापेक्ष वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

क्र0सं0	अनुज्ञापन का प्रकार	अनुज्ञापन का विवरण	वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस (लाख रुपये में)	वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित प्रतिभूति धनराशि (लाख रुपये में)	वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस (लाख रुपये में)	वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित प्रतिभूति धनराशि (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1	**BWFL-2A**	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित विदेशी मदिरा की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुज्ञापन।	8.00	4.00	10.00	5.00
2	**BWFL-2B**	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित बीयर की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुज्ञापन।	6.00	3.00	7.50	4.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3	**BWFL-2C**	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित वाइन की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुज्ञापन।	0.50	0.25	0.75	0.50
4	**BWFL-2D**	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित एल.ए.बी. की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुज्ञापन।	0.25	0.10	0.50	0.25

इसके अतिरिक्त वर्ष 2019-20 हेतु निम्नवत् व्यवस्था निर्धारित की जाती हैः-

1- प्रत्येक अनुज्ञापन से प्रोसेसिंग फीस के रूप में रू0 50,000/- प्रति अनुज्ञापन तथा देय जी0एस0टी0 लिया जायेगा।

2- यदि प्रदेश के बाहर की कोई इकाई प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बाण्ड अनुज्ञापन लेना चाहे तो एक प्रार्थना-पत्र के साथ ही उसे विभिन्न जनपदों में अनुज्ञापन दिया जाना एवं इस निमित्त उससे प्रत्येक जनपद/अनुज्ञापन हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस उपरोक्तानुसार ली जायेगी।

3- इसी प्रकार प्रदेश के बाहर की कोई इकाई जिसकी अन्य प्रदेशों में कई इकाइयां हों, यदि उत्तर प्रदेश में बाण्ड अनुज्ञापन लेकर अपनी विभिन्न इकाइयों से विदेशी मदिरा/बीयर/वाइन/एल0ए0बी0 की बिक्री एक ही परिसर से करना चाहती है तो उससे प्रत्येक इकाई के लिये उपरोक्तानुसार निर्धारित लाइसेंस फीस लेकर कार्य करने की अनुमति प्रदान की जायेगी। प्रतिबंध यह होगा कि प्रयुक्त किये जा रहे परिसर में विभिन्न इकाईयों से प्राप्त पारेषणों को पृथक्पृथक भण्डारित किया जायेगा।

(2) बाण्ड अनुज्ञापन प्राप्त करने हेतु इच्छुक, अन्य प्रदेशों की बाटलिंग इकाइयों हेतु व्यावसायिक आय का वार्षिक टर्न ओवर (राजस्व/प्रतिफल शुल्क को सम्मिलित करते हुये) रु0 200 करोड़ से घटाकर न्यूनतम रु0 150 करोड़ किया जाता है।

2.2.17 <u>विदेशी मदिरा के लेबुलों की अनुमोदन फीसः</u>-

वर्ष 2018-19 में विदेशी मदिरा के लेबुलों की अनुमोदन फीस रुपये 60,000/- प्रति लेबुल निर्धारित है। उक्त लेबुल अनुमोदन फीस में रुपये 5,000/- की वृद्धि करते हुये वर्ष 2019-20 हेतु रुपये 65,000/- प्रति लेबुल निर्धारित की जाती है। यदि विदेशी मदिरा के किसी ब्राण्ड के ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन में परिवर्तित प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के बावजूद इसकी किसी धारिता वाली बोतल की एम0आर0पी0 में परिवर्तन नहीं होता है तब संबंधित ब्राण्ड की प्रश्नगत् धारिता वाली बोतल के लेबुलों की मात्र निर्धारित अनुमोदन फीस तथा लेबुल का नमूना जमा कराकर पूर्व प्रदत्त अनुमोदन को वर्ष 2019-20 हेतु नवीनीकृत किया जायेगा। प्रतिबंध यह होगा कि लेबुलों के आकार, रंग, प्रिंटिंग इत्यादि में कोई परिवर्तन न किया गया हो।

2.2.18 <u>विदेशी मदिरा पर आयात अनुज्ञा पत्र फीसः</u>-

बोतलों में आयातित विदेशी मदिरा पर आयात अनुज्ञा पत्र फीस वर्ष 2018-19 हेतु रूपये 10/- प्रति बल्क लीटर निर्धारित है, जिसे बढ़ाकर वर्ष 2019-20 में रुपये 12/- प्रति बल्क लीटर निर्धारित किया जाता है। वर्ष 2018-19 में विदेशी मदिरा के बल्क में आयात पर (मिलेट्री कैन्टीन या

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सी0एस0डी0 लाइसेंसधारी को छोड़कर) रु0 4/- प्रति बल्क लीटर आयात अनुज्ञा पत्र फीस को बढ़ाकर वर्ष 2019-20 हेतु रु0 5/- प्रति बल्क लीटर आयात अनुज्ञा पत्र फीस निर्धारित की जाती है।

2.2.19 <u>विदेशी मदिरा की निर्यात पास फीस (सिविल)</u>:-

विदेशी मदिरा का बल्क में निर्यात किये जाने पर निर्यात पास फीस वर्ष 2018-19 हेतु रु0 3/- प्रति बल्क लीटर तथा विदेशी मदिरा का बोतलों में निर्यात किये जाने पर निर्यात पास फीस रु0 1.50/- प्रति बल्क लीटर निर्धारित है। इस व्यवस्था को वर्ष 2019-20 में यथावत् रखा जाता है।

वर्ष 2018-19 में भारतीय सेना को आपूर्ति की जाने वाली रियायती रम पर निर्यात पास फीस रुपये 1.00/- प्रति ए0एल0 निर्धारित है। इस व्यवस्था को वर्ष 2019-20 में यथावत् रखा जाता है।

2.2.20 <u>विदेशी मदिरा की 90 एम0एल0 व 60 एम0एल0 की धारिता में आपूर्ति</u>:-

वर्ष 2018-19 हेतु 90 एम0एल0 की धारिता की बोतलों में विदेशी मदिरा की बिक्री प्रीमियम व उससे ऊपर की श्रेणियों में शीशे की बोतलों के साथ-साथ "सिरोंग पैक" में तथा 60 एम0एल0 धारिता की बोतलों की बिक्री स्कॉच की श्रेणी में अनुमन्य हैं। उपरोक्त व्यवस्था को वर्ष 2019-20 हेतु यथावत् रखाजाता है।

2.2.21 <u>विदेशी मदिरा की टेट्रा पैक में आपूर्ति</u>:-

भारत निर्मित विदेशी मदिरा की इकोनामी, मीडियम एवं रेगूलर श्रेणी में 180 एम0एल0 की धारिता में टेट्रा पैक में आपूर्ति वर्ष 2018-19 में अनुमन्य है। इसे वर्ष 2019-20 हेतु यथावत् रखा जाता है। टेट्रापैक की रिसाइकलिंग हेतु सॉलिड वेस्ट मैंनेजमेन्ट रुल्स, 2016 के नियमों के अन्तर्गत टेट्रा पैक में भराई एवं आपूर्ति करने वाली इकाई को इसके अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

2.2.22 <u>बार /क्लब लाइसेंस</u>:-

विभिन्न प्रकार के बार अनुज्ञापनों की वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस में 20 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये उसे अगले पांच हजार रुपये के गुणक में राउण्ड आफ करके पूर्वप्रदत्त सुविधाओं के साथ वर्ष 2019-20 के लिये निम्नानुसार लाइसेंस फीस/सुविधाएं निर्धारित की जाती हैं:-

निश्चित फीस प्रणाली (रुपये में)		
होटल/रेस्टोरेन्ट बार/ क्लब परमिट	**जनपद गौतमबुद्वनगर एवं जनपद गाजियाबाद के सम्पूर्ण जनपद क्षेत्र में तथा जनपद आगरा, कानपुर नगर, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, सहारनपुर, बुलन्दशहर, मथुरा तथा मुजफ्फरनगर के नगर निगम क्षेत्र/ जनपद मुख्यालय के नगर पालिका परिषद क्षेत्र, जिनमें छावनी बोर्ड, नोटीफाइड एरिया एवं विकास प्राधिकरण, यदि कोई हो, के क्षेत्र भी सम्मिलित हैं तथा उपरोक्त जनपदों के ऐसे क्षेत्रों में स्थित ऐसे नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र जो उक्त क्षेत्रों में भले ही सम्मिलित न हों, किन्तु उन क्षेत्रों से घिरे हुये हों में स्थित होटल/रेस्टोरेन्ट/क्लब**	**स्तम्भ-2 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में स्थित होटल/ रेस्टोरेन्ट/ क्लब**
1	**2**	**3**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(क)एफ0एल0-6(समिश्र) कमरों की संख्या के आधार पर होटलों का वर्गीकरण (एक) 30 कमरों तक	9,70,000	7,75,000
(दो) 30 कमरों से अधिक किन्तु 70 से अनाधिक तक	11,65,000	8,80,000
(तीन) 70 कमरों से अधिक किन्तु 100 से अनाधिक तक	12,60,000	11,65,000
(चार) 100 से अधिक कमरे	14,52,000	12,10,000
(ख) एफ0एल0-6क (समिश्र) (चार व पांच सितारा होटल)	23,20,000	21,25,000
(ग) एफ0एल0-7 के लिए	8,80,000	6,85,000
(घ) एफ0एल0-7ख के लिए	समाप्त किया जाता है।	
(ङ)एफ0एल0-7सी (क्लबपरमिट) (एक) 100 सदस्यों तक	2,55,000	2,55,000
(दो) 101 से 500 तक के सदस्यों के लिए	3,50,000	3,50,000
(तीन) 500 से अधिक सदस्यों के लिए	3,90,000	3,90,000

अग्रिम प्रतिबंध यह भी होगा कि किसी भी बार अनुज्ञापन की संबधित वर्ष की लाइसेंस फीस उसके द्वारा पूर्व वर्ष में अदा की गयी लाइसेंस फीस से कम नहीं होगी।

उपरोक्तानुसार लाइसेंस फीस की अदायगी के उपरान्त निम्न सुविधायें वर्ष 2019-20 हेतु अनुमन्य होंगी:-

(1) स्टार होटलों के सभी कमरों में तथा नान स्टार होटलों के केवल ए.सी. कमरों में अन्तःवासियों हेतु मिनी बार की सुविधा।

(2) होटलों में मदिरा पीने के लिए अनुमन्य बार रुम एवं होटल के कमरों के अतिरिक्त अन्य स्थानों यथा कानफ्रेन्स रुम, बैंकेटहाल, स्वीमिंग पूल व अन्य किसी स्थल पर अधिकतम 5 अतिरिक्त स्थलों की सीमा के अन्तर्गत अन्तःवासियों हेतु मदिरा पान की सुविधा।

(3) भारत निर्मित विदेशी मदिरा तथा आयातित विदेशी मदिरा की प्रदेश में विक्रय हेतु अनुमन्य ब्राण्डों की 60 एम.एल. की धारिता की बोतलों की होटल के कमरों में उपलब्धता।

(4) ड्रॉट बीयर एवं बीयर की सभी धारिताओं की बोतलों, कैन पैक सहित, उपलब्धता।

(5) वाइन की सभी धारिताओं की बोतलों की उपलब्धता।

(6) एफ0एल0-7 अनुज्ञापन पर बीयर की ब्रिक्री अनुमन्य होगी। अतः सभी एफ0एल0-7ख बीयर बार अनुज्ञापन एफ0एल0-7 अनुज्ञापन की वार्षिक लाइसेंस फीस जमा कराने पर एफ0एल0-7 अनुज्ञापन में परिवर्तित माने जायेंगे अन्यथा यह अनुज्ञापन दिनांक 01.04.2019 से समाप्त माने जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2.2.23 <u>बार अनुज्ञापनों की कार्यावधि</u>:-

वर्ष 2018-19 हेतु सभी बार अनुज्ञापनों की कार्यावधि प्रत्येक दिनों में 12 बजे दोपहर से रात्रि 12 बजे तक निर्धारित है। साथ ही नगर निगम क्षेत्रों तथा गौतमबुद्धनगर में स्थित बारों से एक लाख पच्चीस हजार रुपये अतिरिक्त वार्षिक फीस लेकर 1.00 बजे रात्रि तक बार में मदिरा का उपभोग अनुमन्य है। वर्ष 2019-20 हेतु सभी बार अनुज्ञापनों की कार्यावधि प्रत्येक दिनों में प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 12.00 बजे तक निर्धारित की जाती है। शेष व्यवस्थायें यथावत् रहेंगी।

2.2.24 <u>ऑकेजनल बार लाइसेंस</u>:-

(1) वर्ष 2018-19 हेतु ऑकेजनल बार अनुज्ञापन की लाइसेंस फीस निम्नानुसार निर्धारित है, जिसे वर्ष 2019-20 हेतु यथावत् रखा जाना है:-

ऑकेजनल बार लाइसेंस फीस की श्रेणी	वर्ष 2019-20 हेतु प्रस्तावित ऑकेजनल बार अनुज्ञापन की लाइसेंस फीस
(क) किसी व्यक्ति के अपने घर/ निजी स्थान (Private Place) पर आयोजित समारोह के लिए, जिसमें कोई लाभ अर्जन न हो। (गैर वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु)	रु0 4,000/- प्रति दिन
(ख) किसी क्लब, संस्था, व्यक्ति द्वारा किसी होटल/ रेस्टोरेन्ट/ बैंक्वेट हाल/ रिसोर्टस/ फार्म हाउस /बारात घर एवं अन्य किसी स्थान आदि में आयोजित समारोह के लिये प्रदत्त किये जाने वाले अनुज्ञापन हेतु (वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु)	रु0 10,000/- प्रति दिन

ऑकेजनल बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) अनुज्ञापन धारकों को आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा। वर्ष 2019-20 में ऑकेजनल बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) अनुज्ञापन ऑनलाइन ही निर्गत किये जायेंगे।

(2) उपरोक्त के अतिरिक्त प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से, आई0आर0सी0टी0सी0 द्वारा संचालित विशेष रेलगाड़ी ''महाराजा'' के विदेशी पर्यटकों हेतु उत्तर प्रदेश की सीमा में आयोजित किये जाने वाले ''शैम्पेन ब्रेकफास्ट'' और प्रदेश के पॉच सितारा होटलों में विदेशी पर्यटकों के समूह के लिये आयोजित किये जाने वाले विशेष ''ब्रेकफास्ट'' के लिये स्वीकृत किये जाने वाले ऑकेजनल बार अनुज्ञापनों के अंतर्गत प्रातः 9.00 बजे से मदिरा परोसने की विशेष अनुमति तत्काल प्रभाव से प्रदान की जाती है।

2.2.25 <u>अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा पर परमिट फीस</u>:-

वर्ष 2018-19 हेतु अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा की परमिट फीस की दरों में रु0 50/- की वृद्धि करते हुये वर्ष 2019-20 हेतु परमिट फीस की दरें निम्नवत् निर्धारित की जाती हैं:-

एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य प्रति बोतल (750 एम0एल0)	वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित परमिट फीस	वर्ष 2019-20 हेतु प्रस्तावित परमिट फीस

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

रु0 0 से 600/- तक	रु0 1140/- प्रति बल्क लीटर	रु0 1200/- प्रति बल्क लीटर
रु0 600/- से अधिक	रु0 1190/- प्रति बल्क लीटर	रु0 1260/- प्रति बल्क लीटर

2.2.26 <u>एफ0एल0-3ए अनुज्ञापनों से फ्रैंचाइजी फीस लिया जाना</u>

एफ0एल0-3ए अनुज्ञापन भारत के दूसरे राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर के किसी आसवक/यवासवक/द्राक्षासवक को दिये जाते हैं। वर्ष 2019-20 हेतु प्रदेश में स्थित किसी आसवनी/यवासवनी/द्राक्षासवनी में एफ0एल0-3ए अनुज्ञापन हेतु प्रत्येक वर्ष स्वीकृति/ नवीनीकरण से पूर्व फ्रैचाइजी फीस जमा करनी होगी। उक्त फ्रैचाइजी फीस नये लाइसेंस की दशा में रु0 5 लाख प्रति अनुज्ञापन तथा नवीनीकरण की दशा में फ्रैचाइजी फीस नवीनीकरण शुल्क के 50 प्रतिशत के समतुल्य होगी। फ्रैचाइजी फीस बाटलिंग फीस में समायोजनीय नहीं होगी।

2.3 <u>वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय (लो अल्कोहलिक ब्रिवरेजेज-एल0ए0बी0)</u>

2.3.1 <u>भारत में निर्मित वाइन पर आयात शुल्क</u>:-

वर्ष 2018-19 में भारत में निर्मित वाइन पर आयात शुल्क रु0 3/- प्रति बल्क लीटर निर्धारित है। प्रदेश के राजस्व में वाइन से प्राप्त होने वाले राजस्व की भागीदारी बहुत कम है तथा वाइन का व्यवसाय प्रदेश में विकसित हो रहा है। अतः वर्ष 2019-20 हेतु भी भारत में निर्मित वाइन पर आयात शुल्क यथावत् रु0 3/- प्रति बल्क लीटर रखा जाता है।

2.3.2 <u>भारत निर्मित वाइन पर प्रतिफल फीस</u>:-

वर्ष 2018-19 हेतु भारत में निर्मित वाइन पर प्रतिफल फीस न्यूनतम् रु0 75.00 प्रतिलीटर या एम.आर.पी. का 25 प्रतिशत जो अधिक हो, निर्धारित है। इसका प्रचलन धीरे-धीरे बढ़ रहा है। अतः वर्ष 2019-20 हेतु भी उक्त प्रतिफल फीस को यथावत् रखा जाना है।

2.3.3 <u>अन्य देशों से आयातित वाइन पर परमिट फीस</u>:-

वर्ष 2018-19 हेतु अन्य देशों से आयातित वाइन पर परमिट फीस रू0 75.00 प्रतिलीटर या एम.आर.पी. का 25 प्रतिशत जो अधिक हो, निर्धारित है। इसका प्रचलन धीरे-धीरे बढ़ रहा है। अतः वर्ष 2019-20 हेतु भी उक्त परमिट फीस को यथावत् रखा जाता है।

2.3.4 <u>अन्य देशों से आयातित वाइन पर एम.आर.पी. अंकित किया जाना</u>:-

अन्य देशों से आयातित वाइन की बोतलों पर वर्ष 2018-19 में एम.आर.पी. और अन्य "लीजेण्ड" मुद्रित करने हेतु निम्न व्यवस्था निर्धारित है:-

1. आयातित वाइन की बोतलों पर न्यूनतम 70 मिलीमीटर × 35 मिलीमीटर साइज का सफेद रंग का स्टिकर चस्पा किया जायेगा।

2. उक्त स्टिकर पर सामान्य स्वस्थ आंखों से स्पष्ट पठनीय काले रंग के अक्षरों में अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य (एम0आर0पी0), "Consumption of Liquor is Injurious to Health" तथा आयातक व वितरक का नाम व पूर्ण पता अंकित किया जायेगा।

3. उक्त स्टिकर पर लाल रंग से न्यूनतम 3 मिलीमीटर साइज के अक्षरों में "For Sale in Uttar Pradesh only" विकर्णवत (Diagonally) अंकित किया जायेगा।

उपरोक्त व्यवस्था को वर्ष 2019-20 हेतु भी यथावत् बनाये रखा जाता है।

2.3.5 <u>अन्य देशों से आयातित वाइन का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन</u>:-

वर्ष 2018-19 में अन्य देशों से आयातित वाइन पर प्रति ब्राण्ड रुपये 25,000/- रजिस्ट्रेशन फीस निर्धारित है। इसे बढ़ाकर वर्ष 2019-20 हेतु रुपये 30,000/- निर्धारित किया जाता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2.3.6 <u>भारतीय वाइन का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन एवं लेबुल अनुमोदन</u>:-

भारत निर्मित वाइन की ब्रान्ड रजिस्ट्रेशन फीस वर्ष 2018-19 में रू0 5,000/- प्रति ब्राण्ड एवं लेबुल अनुमोदन फीस भी रू0 5,000/- प्रति लेबुल निर्धारित है। इसे बढ़ाकर वर्ष 2019-20 हेतु रू0 7,500/- प्रति ब्राण्ड एवं लेबुल अनुमोदन फीस भी रू0 7,500/- प्रति लेबुल निर्धारित किया जाता है। यदि वाइन के किसी ब्राण्ड के ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन में परिवर्तित प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के बावजूद इसकी किसी धारिता वाली बोतल की एम0आर0पी0 में परिवर्तन नहीं होता है, तब संबंधित ब्राण्ड की प्रश्नगत् धारिता वाली बोतल के लेबुलों की मात्र निर्धारित अनुमोदन फीस तथा लेबुल का नमूना जमा कराकर पूर्व प्रदत्त अनुमोदन को वर्ष 2019-20 हेतु नवीनीकृत कराया जायेगा। प्रतिबंध यह होगा कि लेबुलों के आकार, रंग, प्रिंटिंग इत्यादि में कोई परिवर्तन न किया गया हो।

2.3.7 <u>वाइन की बिक्री</u>:-

वाइन की बिक्री वर्ष 2018-19 की ही भॉति वर्ष 2019-20 में भी विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों से कराई जायेगी।

2.3.8 <u>कम तीव्रता के मादक पेय की बिक्री</u>:-

वर्ष 2018-19 में सेना के अधिकारियों को एफ0एल0-9 अनुज्ञापनों के माध्यम से बीयर की भांति एल.ए.बी. की बिक्री अनुमन्य है। इसे वर्ष 2019-20 में भी यथावत् बनाये रखा जाता है।

2.3.9 <u>कम तीव्रता के मादक पेय का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन एवं लेबुल अनुमोदन</u>-

कम तीव्रता के मादक पेय के ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन व लेबुल अनुमोदन की फीस वर्ष 2018-19 में क्रमशः रु0 3,000/- प्रति ब्राण्ड व रु0 5,000/- प्रति लेबुल निर्धारित है। वर्ष 2019-20 हेतु इनके ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन व लेबुल अनुमोदन फीस को क्रमशः रु0 5,000/- प्रति ब्राण्ड व रु0 7,500/- प्रति लेबुल निर्धारित की जाती है। यदि कम तीव्रता के मादक पेय के किसी ब्राण्ड के ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन में परिवर्तित प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के बावजूद इसकी किसी धारिता वाली बोतल की एम0आर0पी0 में परिवर्तन नहीं होता है, तब संबंधित ब्राण्ड की प्रश्नगत् धारिता वाली बोतल के लेबुलों की मात्र निर्धारित अनुमोदन फीस जमा कराकर पूर्व प्रदत्त अनुमोदन को वर्ष 2019-20 हेतु नवीनीकृत कराया जायेगा। प्रतिबंध यह होगा कि लेबुलों के आकार, रंग, प्रिंटिंग इत्यादि में कोई परिवर्तन न किया गया हो।

2.3.10 <u>कम तीव्रता के मादक पेय ऐल, पोर्टर, साइडर व अन्य फर्मेन्टेड लिकर पर प्रतिफल फीस</u>:-

उपरोक्त मादकों पर गत वर्षो में बीयर की भांति ही प्रतिफल फीस ली जाती रही है। वर्ष 2018-19 में उक्त मादकों के संबंध में भी ई0बी0पी0 प्राप्त कर बीयर की भांति एम0आर0पी0 व प्रतिफल फीस का निर्धारण किया जाना अनुमन्य है। अतः वर्ष 2018-19 की भांति वर्ष 2019-20 में उक्त व्यवस्था यथावत् बनाये रखा जाता है।

2.4 <u>बीयर</u>

2.4.1 <u>आवेदन व प्रोसेसिंग फीस</u>-

वर्ष 2018-19 के लिये प्रोसेसिंग फीस की दर रु0 15,000/- प्रति आवेदन पत्र निर्धारित है। विभाग में ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने एवं ढांचागत विकास में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु तथा व्यवस्थापन की प्रक्रिया में गम्भीर एवं वास्तविक आवेदकों को ही सम्मिलित होने का अवसर दिये जाने तथा अवास्तविक एवं अक्षम व्यक्तियों को प्रक्रिया में भाग लेने से रोकने के लिये प्रोसेसिंग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

फीस बढ़ाकर वर्ष 2019-20 हेतु रु0 18,000/- प्रति आवेदन पत्र निर्धारित की जाती है। इस पर तत्समय प्रचलित दर से जी0एस0टी नियमानुसार वसूल किया जाएगा।

2.4.2 <u>बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों की लाइसेंस फीस</u>:-

वर्ष 2018-19 हेतु बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों की लाइसेंस फीस का निर्धारण वर्ष 2017-18 में दुकान की वार्षिक लाइसेंस फीस पर 15 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये किया गया है। इस प्रकार प्राप्त लाइसेंस फीस की धनराशि यदि रु0 5,000/- के गुणक में नहीं पायी जाती है, तो उसे बढ़ाकर रु0 5,000/- के अगले स्तर पर राउण्ड आफ करके निर्धारित किया गया, परन्तु प्रतिबंध यह था कि यह लाइसेंस फीस संबंधित प्रास्थिति की नवसृजित दुकान के लिये निर्धारित न्यूनतम लाइसेंस फीस से कम नहीं होगी।

वर्ष 2019-20 हेतु बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों की लाइसेंस फीस का निर्धारण वर्ष 2018-19 में दुकान की वार्षिक लाइसेंस फीस पर न्यूनतम 15 प्रतिशत अथवा दुकान पर माह जनवरी,2019 तक हुये उपभोग के आधार पर समानुपातिक रूप से आंकलित वार्षिक उपभोग में गत वर्ष के सापेक्ष हुयी वृद्धि के प्रतिशत जो भी अधिक हो, के समतुल्य की वृद्धि करते हुये किया जायेगा, परन्तु यह वृद्धि अधिकतम 30 प्रतिशत तक की जा सकेगी। इस हेतु दुकान की गतवर्ष की संचालन अवधि में हुयी बीयर के उपभोग के आधार पर समानुपातिक रूप से वार्षिक उपभोग का आंकलन किया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त लाइसेंस फीस की धनराशि यदि रु0 5,000/- के गुणक में नहीं पायी जायेगी, तो उसे बढ़ाकर रु0 5,000/- के अगले स्तर पर राउण्ड ऑफ करके निर्धारित किया जायेगा।

प्रतिबंध यह होगा कि जिन दुकानों का वर्ष 2018-19 हेतु व्यवस्थापन द्वितीय चरण अथवा अग्रतर चरणों के व्यवस्थापन में घटे हुये लाइसेंस फीस पर हुआ है उन दुकानों के वर्ष 2019-20 के लाइसेंस फीस के निर्धारण में उपरोक्त घटे हुये लाइसेंस फीस को संज्ञान में नहीं लिया जायेगा बल्कि ऐसी दुकानों के वर्ष 2019-20 के लाइसेंस फीस निर्धारण में वर्ष 2018-19 हेतु प्रथम चरण के व्यवस्थापन हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस के आधार पर आगणन किया जायेगा।

2.4.3 <u>बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों का सृजन</u>-

अवैध मदिरा की तस्करी व बिक्री की रोकथाम तथा असेवित क्षेत्रों में मानक गुणवत्ता की बीयर की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु वर्ष 2018-19 में बीयर की व्यवस्थित कुल दुकानों की संख्या के 10 प्रतिशत तक दुकानों के सृजन का अधिकार आबकारी आयुक्त उ0प्र0 को दिया गया है। वर्ष 2019-20 हेतु बीयर की वर्ष 2018-19 में व्यवस्थित कुल दुकानों की संख्या के 01 प्रतिशत तक दुकानों के सृजन का अधिकार आबकारी आयुक्त उ0प्र0 को दिया जाता है। प्रतिबंध यह होगा कि नवसृजन के प्रस्तावों पर विचार किया जाना, समस्त दुकानों की जियो टैगिंग का कार्य सपन्न हो जाने के पश्चात ही अनुमन्य होगा।

वर्ष 2019-20 हेतु नवसृजित बीयर दुकानों की लाइसेंस फीस निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

क्र0सं0	नवसृजित दुकान की प्रास्थिति	वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित न्यूनतम लाइसेंस फीस (रुपये में) प्रति दुकान	वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित न्यूनतम लाइसेंस फीस (रुपये में) प्रति दुकान
1	2	3	4

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1	नगर निगम व इसकी सीमा से 03 कि0मी0 की परिधि तक।	1,95,000	2,25,000
2	नगर पालिका व इसकी सीमा से 02 कि0मी0 की परिधि तक।	1,05,000	1,20,000
3	नगर पंचायत व इसकी सीमा से 01 कि0मी0 की परिधि तक।	60,000	70,000
4	ग्रामीण।	55,000	65,000

बीयर की समस्त दुकानों (नवसृजित सहित) की प्रास्थिति का निर्धारण नियमानुसार किया जायेगा। इस संबंध में आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा समय-समय पर प्रसारित परिपत्रों में दिये गये निर्देशों का भी कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2.4.4 <u>बीयर के फुटकर अनुज्ञापनों का वर्ष 2019-20 हेतु नवीनीकरण</u>:-

वर्ष 2018-19 की आबकारी नीति में यह व्यवस्था है कि ''बीयर की फुटकर दुकानों में वर्ष 2018-19 में पूर्व वर्ष की तुलना में 30 प्रतिशत अथवा उससे अधिक उपभोग होने की स्थिति में वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित शर्तों व देयताओं पर यदि अनुज्ञापी चाहें तो उसके अनुज्ञापन के नवीनीकरण की व्यवस्था अनुमन्य की जायेगी।"

उपरोक्त के आलोक में वर्ष 2018-19 में नवसृजित बीयर की दुकानों का नवीनीकरण किया जाना संभव नहीं होगा क्योंकि इन दुकानों का वर्ष 2017-18 में उपभोग का आंकलन किया जाना संभव नहीं है।

चूँकि प्रदेश में बीयर का उपभोग मुख्यतया 500 एम0एल0 के कैन में ही होता है अतः नवीनीकरण/व्यवस्थापन हेतु गणना के लिये दुकान की वर्ष 2018-19 में माह जनवरी,2019 तक 500 एम0एल0 कैन के टर्म में दुकान पर हुये उपभोग के आधार पर समानुपातिक रुप से वार्षिक उपभोग का आगणन किया जायेगा। यदि वर्तमान वर्ष 2018-19 के लिये कुल उपभोग का आगणन, गतवर्ष के कुल उपभोग के आगणन से 30 प्रतिशत से अधिक आगणित हो, तो दुकान को नवीनीकृत किया जायेगा। इस हेतु वर्ष 2017-18 में दुकान पर उसकी संचालन अवधि में हुये उपभोग को 500 एम0एल0 कैन के आधार पर समानुपातिक रूप से वार्षिक उपभोग का आंकलन किया जायेगा।

वर्ष 2019-20 में दुकानों का नवीनीकरण निम्नांकित शर्तों के अधीन किया जाएगा:-

1- अंतिम व्यपगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

2- वर्ष 2018-19 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

3- अनुज्ञापी को इस आशय का शपथ पत्र भी देना होगा कि दिनांक 31.01.2019 तक उसकी दुकान पर हुआ उपभोग गत वित्तीय वर्ष की समान अवधि में हुये आकलित समानुपातिक उपभोग से 30 प्रतिशत अधिक होगा। इसी प्रकार 15 मार्च, 2019 तक दुकान पर संपूर्ण वर्ष 2017-18 में हुये समानुपातिक उपभोग से 30 प्रतिशत अधिक की निकासी प्राप्त करते हुये, दिनांक 31.03.2019 तक उपभोग सुनिश्चित करेगा। विफलता की दशा में उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जाये तथा उसकी वर्ष 2018-19 की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2019-20 की नवीनीकरण फीस व लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाये। प्रतिभूति की जब्ती की दशा में वर्ष 2018-19 हेतु आवश्यक प्रतिभूति की प्रतिपूर्ति करेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रतिबंध यह होगा कि यदि कोई बीयर की दुकान दिनांक 01.04.2018 के पश्चात व्यवस्थित अथवा मध्यसत्र मे पुनर्व्यवस्थित हुयी है तब संचालन अवधि में दुकान पर हुये उपभोग को समानुपातिक रूप से बढ़ाते हुये आगणन किया जायेगा।

<u>नवीनीकरण की प्रक्रिया</u>

(क) सर्वप्रथम संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समस्त व्यवस्थित बीयर दुकानों की सूची, संबंधित देयताओं एवं उपरोक्त आवश्यक अर्हताओं का विवरण न्यूनतम 02 बहुप्रचलित स्थानीय समाचार पत्रों और जनपद की वेबसाइट पर विज्ञप्ति के माध्यम से प्रकाशित कराकर उक्त सूची में अंकित दुकानों के अनुज्ञापियों से नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन मांगे जायेंगे।

(ख) उक्त सूची में वर्णित दुकानों के वर्ष 2018-19 के अनुज्ञापियों में से नवीनीकरण हेतु इच्छुक अनुज्ञापी द्वारा नवीनीकरण प्रार्थना पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत किया जायेगा तथा शपथ-पत्र अपलोड किया जायेगा। प्रोसेसिंग फीस और जी0एस0टी0 की धनराशि को ऑनलाइन जमा किया जायेगा। आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 03 कार्य दिवस के अंदर लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा नवीनीकरण पर निर्णय लेते हुये संबंधित इच्छुक अनुज्ञापी को नवीनीकरण शुल्क तथा दुकान की वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस की 50 प्रतिशत धनराशि 03 कार्य दिवस के अंदर जमा करने का निर्देश दिया जायेगा। शेष 50 प्रतिशत धनराशि 28 फरवरी, 2019 तक अनुज्ञापी को जमा करना अनिवार्य होगा। प्रतिभूति धनराशि के अंतर की धनराशि अनुज्ञापी द्वारा 31 मार्च, 2019 तक जमा की जा सकेगी।

(ग) अनुज्ञापी द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने पर अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र का पालन न करने पर उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसकी वर्ष 2018-19 की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2019-20 की नवीनीकरण फीस व लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी। प्रतिभूति की जब्ती की दशा में वर्ष 2018-19 हेतु आवश्यक प्रतिभूति की प्रतिपूर्ति करेगा।

नवीनीकरण से अवशेष दुकानों का व्यवस्थापन ई-लाटरी की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

2.4.6 <u>बीयर की दुकानों की नवीनीकरण फीस</u>:-

वर्ष 2017-18 में निर्धारित नवीनीकरण शुल्क में 15 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये वर्ष 2019-20 के लिए उसे रु0 5,000/- के अगले गुणक में निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

क्र0सं0	निकाय	वर्ष 2017-18 में निर्धारित नवीनीकरण शुल्क (रुपये में)	वर्ष 2019-20 हेतु नवीनीकरण शुल्क की निर्धारित दर (रुपये में)
1	नगर निगम क्षेत्र की दुकानों के लिए	55,000	65,000 प्रति दुकान
2	नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों के लिए	45,000	55,000 प्रति दुकान
3	नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों के लिए	28,000	35,000 प्रति दुकान
4	ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के लिए	13,000	15,000 प्रति दुकान

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2.4.7 <u>बीयर की प्रतिफल फीस एवं एम0आर0पी0</u>:-

उल्लेखनीय है कि बीयर में लगभग 78 प्रतिशत उपभोग 500 मि0लि0 के कैन तथा 97 प्रतिशत उपभोग स्ट्रांग बीयर का होता है। अतः वर्ष 2019-20 हेतु बीयर की प्रतिफल फीस एवं एम0आर0पी0 का निर्धारण प्रारम्भिक रुप से 500 मि0लि0 के कैन में माइल्ड एवं स्ट्रांग के लिये समान रुप से करते हुये एम0आर0पी0 आगणन सूत्र निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

माइल्ड एवं स्ट्रांग बीयर की एम0आर0पी0 निर्धारण हेतु सूत्र (माइल्ड- 5 प्रतिशत वी/वी या उससे कम अल्कोहल की तीव्रता)/ (स्ट्रांग- 5 प्रतिशत वी/वी अल्कोहल की तीव्रता से अधिक परन्तु 8 प्रतिशत वी/वी अल्कोहल की तीव्रता तक)				
1	2	3	4	5
यवासवक द्वारा एक्स ब्रिबरी प्राइस (ई0बी0पी0) घोषित करने हेतु निर्धारित एक्स यवासवनी/ बाण्डधारक इकाई/एक्स सी.एस.डी. मूल्य प्रति कैन 500 एम.एल. (रु0 में) **(EBP)**	प्रतिफल फीस प्रति कैन (500 मि0ली0) (रु0 में0) **(D)**	थोक बिक्रेता का मार्जिन (प्रति कैन 500 मि.ली)	फुटकर बिक्रेता का मार्जिन (प्रति कैन 500 मि.ली)	अधिकतम फुटकर मूल्य (प्रति कैन 500मि.ली.) **(MRP)**
एक्स ब्रिबरीज प्राइस (ई0बी0पी0)	रु0 ई0बी0पी0**(E)** का 280 प्रतिशत	रु0 1.40	रु0 13.10	कालम 1+2+3+4 का योग

नोटः-

(1) बीयर ब्राण्ड के मूल्य निर्धारण हेतु यवासवनी/बाण्डधारक इकाई को आवेदन पत्र के साथ नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित इस आशय का शपथ-पत्र संलग्न किया जायेगा कि संबंधित ब्राण्ड के लिये उनके द्वारा घोषित ई0बी0पी0 कॉस्ट एकाउटेन्ट द्वारा प्रमाणित है, तथा उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों यथा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चण्डीगढ़, उत्तराखण्ड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, हिमाचल प्रदेश एवं बिहार (सम्प्रति बिहार में मद्यनिषेध है) में घोषित न्यूनतम ई0बी0पी0 के समतुल्य अथवा उससे कम है। शपथ पत्र में यह भी उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा कि जांच में शपथ पत्र में किये गये अभिकथन असत्य पाये जाने पर ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जायेगा।

(2) यह अनुभव किया गया है कि विभिन्न इकाईयों द्वारा अपने ब्राण्डस की भराई देश/प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अनुबन्ध के अन्तर्गत कराई जाती है। जब उक्त ब्राण्ड भराई/बोतल करने वाली इकाई द्वारा ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो प्रायः अनुबन्ध की प्रति नहीं लगाई जाती है। अतः यह आवश्यक है कि ऐसे प्रकरणों में स्पष्ट उल्लेख किया जाये कि उक्त ब्राण्ड मूल रुप से अमुक इकाई का है जिसकी भराई संबंधित इकाई (आवेदनकर्ता इकाई) में संलग्न अनुबन्ध के अन्तर्गत की जाती है। इस आशय की सूचना अनिवार्य रुप से प्राप्त की जायेगी।

(3) 500 एम0एल0 धारिता की कैन हेतु उक्त सूत्र से प्रतिफल फीस का आगणन करके अन्य धारिताओं की बोतलों/कैन हेतु समानुपातिक रूप से प्रतिफल फीस का आगणन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निम्नानुसार किया जायेगा:-

D(650)=D(500)*650/500
D(330)=D(500)*330/500
D(275)=D(500)*275/500

(4) 500 एम0एल0 की कैन हेतु उक्त सूत्र से थोक/फुटकर विक्रेता के मार्जिन का आगणन करके अन्य धारिताओं में बोतल/कैन हेतु समानुपातिक रूप से मार्जिन का आगणन निम्नानुसार किया जायेगा:-

WSM(650)=WSM(500)*650/500
RM(650)=RM(500)*650/500

(5) बीयर के अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य को राउण्ड ऑफ करते हुये, 10 के गुणांक के अगले स्तर पर निर्धारित कर अंतर की धनराशि को अतिरिक्त प्रतिफल फीस के रूप में लिया जायेगा।

(6) 500 एम0एल0 धारिता की कैन में ई0बी0पी0 निर्धारित होने के कारण छोटी धारिताओं के कैन/बोतल की एम0आर0पी0 के निर्धारण के लिये उक्त 500 एम0एल0 की धारिता की कैन के एक्स यवासवनी/बाण्डधारक मूल्य (ई0बी0पी0) को समानुपातिक रुप से 330 एम0एल0 एवं 275 एम0एल0 की धारिता की कैन/बोतल हेतु आगणित कर मूल्य का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा:-

EBP(330)=EBP(500)*330/500
EBP(275)=EBP(500)*275/500

(7) बोतल (650एम0एल0) की एम0आर0पी0 निर्धारण के लिये यवासवनी/बाण्डधारक इकाई द्वारा 500 एम0एल0 धारिता के कैन हेतु प्रस्तुत एक्स मूल्य (ई0बी0पी0) में से रु0 2/- घटाकर 650 एम0एल0 धारिता की बोतल के लिये समानुपातिक आगणन करके 650 एम0एल0 धारिता की बोतल के लिये निम्नानुसार ई0बी0पी0 आगणित की जायेगी:-

EBP(650)=(EBP(500)-2)*650/500

(8) यदि कोई ब्रिवरी/बाण्ड धारक इकाई 500 एम0एल0 की कैन में ई0बी0पी0 प्रस्तुत नहीं करती है और केवल 650 एम0एल0 की धारिता की बोतल में ई0बी0पी0 प्रस्तुत करती है, तो उक्त प्रस्तुत ई0बी0पी0 को 500 एम0एल0 की कैन के समानुपातिक रुप से आगणित करके उसमें रु0 2/- जोड़कर 500 एम0एल0 की कैन हेतु ई0बी0पी0 का आगणन कर प्रतिफल फीस एवं थोक/फुटकर विक्रेता का मार्जिन इत्यादि का आगणन निम्नानुसार किया जायेगा:-

EBP(500)=(EBP(650)*500/650)+2

(9) यदि कोई ब्रिवरी/ब्राण्डधारक इकाई 500 एम0एल0 की कैन में ई0बी0पी0 प्रस्तुत नहीं करती है और केवल 650 एम0एल0 से कम धारिता की बोतल अथवा 500 एम0एल0 से कम धारिता के कैन की ई0बी0पी0 प्रस्तुत करती है, तो उक्त प्रस्तुत ई0बी0पी0 को समानुपातिक रूप से 500 एम0एल0 की कैन हेतु आगणित कर प्रतिफल फीस एवं थोक/फुटकर विक्रेता का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

मार्जिन इत्यादि का आगणन निम्नानुसार किया जायेगा:-

EBP(500)=(EBP(330)*500/330)

2.4.8 <u>बीयर का थोक लाइसेंस</u>:-

(क) एफ0एल0-2बी अनुज्ञापन:-

वर्ष 2018-19 हेतु एफ0एल0-2बी अनुज्ञापन जनपदवार स्वीकृत किये गये हैं। वर्ष 2019-20 हेतु भी एफ0एल0-2बी अनुज्ञापन जनपदवार स्वीकृत किये जायेंगे। नया अनुज्ञापन प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ रू0 50,000 प्रोसेसिंग फीस के रुप में तथा इस पर तत्समय प्रचलित दर से जी0एस0टी नियमानुसार लिया जायेगा।

(ख) एफ0एल0-2बी अनुज्ञापनों हेतु अनुज्ञापन शुल्क:-

वर्ष 2019-20 हेतु एफ0एल0-2बी अनुज्ञापनों हेतु वर्ष 2018-19 की भाँति लाइसेंस फीस की 03 श्रेणियां रखते हुये इनकी लाइसेंस फीस यथावत् निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

क्र0सं0	जनपद का नाम	लाइसेंस फीस प्रति अनुज्ञापन (लाख रुपये में)	प्रतिभूति धनराशि प्रति अनुज्ञापन (लाख रुपये में)
1	2	3	4
1	कौशाम्बी, श्रावस्ती, पीलीभीत, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट।	4.00	0.40
2	सोनभद्र, सिद्धार्थनगर, संतरविदासनगर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, संतकबीरनगर, अमेठी, अम्बेडकरनगर, बलरामपुर, हरदोई, कासगंज, मैनपुरी, संभल, शामली, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, औरैया, रामपुर, शाहजहांपुर, बदायूँ, अमरोहा, बागपत, बांदा, जालौन, ललितपुर।	7.00	0.70
3	उपरोक्त जनपदों को छोड़कर प्रदेश के शेष जनपद	10.00	1.00

इसके अतिरिक्त निम्नांकित शर्ते पूर्ण करना आवश्यक होगा:-

(1) आवेदक सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र का धारक हो तथा उसकी हैसियत अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र में अंकित मूल्य संबंधित अनुज्ञापन के लाइसेंस फीस के समतुल्य धनराशि के दो गुने से कम न हो। दिनांक 01.01.2018 के पश्चात बनाया गया हैसियत प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

(2) आवेदक आयकरदाता हो तथा अनुज्ञापन से पूर्व वर्ष की आयकर विवरणी प्रस्तुत की गयी हो।

(3) आवेदक द्वारा आधार कार्ड प्रस्तुत किया गया हो।

(ग) <u>एफ0एल0-2बी अनुज्ञापनों से अन्य जनपद को बीयर की आपूर्ति हेतु अतिरिक्त लाइसेंस फीस</u>:-

वर्ष 2019-20 हेतु एफ0एल0-2बी अनुज्ञापी द्वारा अपने जनपद के अतिरिक्त अन्य जनपद को बीयर की आपूर्ति करने हेतु अतिरिक्त लाइसेंस फीस अदा करने तथा उसे जमा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

करने के लिये भी निम्नवत् प्रतिबन्धों के साथ व्यवस्था की जाती हैः-

1. जिन जनपदों हेतु एफ0एल0-2बी अनुज्ञापन दिनांक 15.03.2019 तक व्यवस्थित नहीं हो पाते हैं अथवा वर्ष 2019-20 में किसी जनपद में बीयर की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हो रही हो, तो उन जनपदों हेतु बीयर की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिये आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा निकटतम किसी अन्य जनपद के एफ0एल0-2बी अनुज्ञापी को सम्बद्ध किया जायेगा। इस हेतु सम्बद्ध किये गये एफ0एल0-2बी अनुज्ञापन से संबंधित जनपद की लाइसेंस फीस अतिरिक्त रुप से वसूली जायेगी, जो आपूर्ति प्राप्त करने वाले जनपद में मासिक रूप से 1/12 भाग अथवा उक्त अवधि हेतु समानुपातिक रूप में अग्रिम जमा की जायेगी।

2. आपूर्ति प्राप्त करने वाले जनपद का सम्बद्धीकरण आदेश प्राप्त होने की तिथि से 3 कार्य दिवसों के अंदर आपूर्तिकर्ता एफ0एल0-2बी अनुज्ञापी द्वारा उपरोक्त लाइसेंस फीस जमा की जायेगी। उसके बाद आगामी माह के लिये सम्बद्धीकरण आदेश प्रभावी रहने की स्थिति में उक्त माह के लिये मासिक लाइसेंस फीस सम्बन्धित माह के प्रथम कार्य दिवस को जमा करायी जायेगी।

3. आपूर्तिकर्ता अनुज्ञापियों द्वारा उक्त निर्धारित लाइसेंस फीस समयान्तर्गत जमा करायी जायेगी और सबंधित जिला आबकारी अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि उक्त लाइसेंस फीस मदिरा की निकासी से पूर्व आपूर्तिकर्ता अनुज्ञापी द्वारा जमा कर दी गयी है। जिला आबकारी अधिकारी अतिरिक्त लाइसेंस फीस की जमा की गयी धनराशि के विवरण सहित सूचना संबंधित ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति के साथ माह की 05वीं तिथि तक आयुक्तालय तथा संबंधित संयुक्त/उप आबकारी आयुक्त को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

4. आपूर्तिकर्ता एफ0एल0-2बी अनुज्ञापी द्वारा उक्त अतिरिक्त लाइसेंस फीस, बीयर प्राप्त करने वाले फुटकर अनुज्ञापियों से अतिरिक्त रूप से वसूल नहीं की जायेगी।

5. अनुज्ञापी को अनुज्ञापित परिसर के निकासी गेट पर एवं गोदाम के अन्दर अच्छी गुणवत्ता का सी0सी0टी0वी0 कैमरा जिसे आई0पी0 एड्रेस के माध्यम से मुख्यालय से देखा जा सके, लगाना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त अनुज्ञापी को गोदाम पर कम्प्यूटर स्थापित कर निर्धारित प्रारुपों में सूचना संकलित करना एवं उसका आदान-प्रदान सूचना प्रौद्योगिकी/ इलेक्ट्रानिक माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा।

6. अनुज्ञापी को ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली हेतु आवश्यक व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

2.4.9 <u>अन्य देशों से आयातित बीयर का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन</u>:-

अन्य देशों से आयातित बीयर की ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस वर्ष 2018-19 में रू0 30,000 प्रति ब्राण्ड निर्धारित है। राजस्वहित में उक्त ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस को वर्ष 2019-20 हेतु भारत निर्मित विदेशी मदिरा के समान करते हुये रू0 50,000 प्रति ब्राण्ड निर्धारित किया जाता है।

2.4.10 <u>अन्य देशों से आयातित बीयर की परमिट फीस</u>:-

अन्य देशों से आयातित बीयर पर वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित परमिट फीस की दरों में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आंशिक कमी करते हुये वर्ष 2019-20 हेतु परमिट फीस की दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं:-

क्र0सं0	अन्य देशों से आयातित बीयर का प्रकार	वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित परमिट फीस की दर (रुपये में) प्रति 650 मिली0 की बोतल	वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित परमिट फीस की दर (रुपये में) प्रति लीटर
1	5 प्रतिशत वी/वी तीव्रता तक	120.00	170.00
2	5 प्रतिशत वी/वी तीव्रता से अधिक एवं 8 प्रतिशत वी/वी तीव्रता तक	120.00	170.00

2.4.11 <u>भारत निर्मित बीयर का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन</u>:-

भारत निर्मित बीयर की ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस वर्ष 2018-19 हेतु रुपये 45,000 प्रति ब्राण्ड निर्धारित है। इसे वर्ष 2019-20 हेतु रु0 5,000 प्रति ब्राण्ड बढ़ाकर रु0 50,000 प्रति ब्राण्ड निर्धारित किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त कैग में आपूर्ति करने पर भी ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।

2.4.12 <u>अन्य देशों से आयातित बीयर की एम0आर0पी0 अंकित किया जाना</u>:-

अन्य देशों से आयातित बीयर की बोतलों पर वर्ष 2018-19 में एम.आर.पी. और अन्य "लीजेण्ड" मुद्रित करने हेतु निम्न व्यवस्था निर्धारित थी:-

1. आयातित बीयर की बोतलों पर न्यूनतम 70 मिलीमीटर × 35 मिलीमीटर साइज का सफेद रंग का स्टिकर चस्पा किया जायेगा।
2. उक्त स्टिकर पर सामान्य स्वस्थ आंखों से स्पष्ट पठनीय काले रंग के अक्षरों में अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य (एम0आर0पी0),"Consumption of Liquor is Injurious to Health" तथा आयातक व वितरक का नाम व पूर्ण पता अंकित किया जायेगा।
3. उक्त स्टिकर पर लाल रंग से न्यूनतम 3 मिलीमीटर साइज के अक्षरों में "For Sale in Uttar Pradesh only" विकर्णवत (Diagonally) अंकित किया जायेगा।

उपरोक्त व्यवस्था को वर्ष 2019-20 हेतु भी यथावत् बनाये रखा जाता है।

2.4.13 <u>बीयर व एल0ए0बी0 पर निर्यात शुल्क</u>:-

वर्ष 2018-19 हेतु बीयर एवं कम तीव्रता के मादक पेय पर निर्यात शुल्क रु0 2/- प्रति बल्क लीटर निर्धारित है। वर्ष 2019-20 हेतु बीयर एवं कम तीव्रता के मादक पेय पर निर्यात शुल्क रु0 3/- प्रति बल्क लीटर निर्धारित किया जाता है ।

2.4.14 <u>बीयर, पोर्टर, साइडर, ऐल एवं कम तीव्रता के मादक पेय पर आयात शुल्क</u>:-

वर्ष 2018-19 में फ्लैश पाश्चुराइजेशन की प्रक्रिया से निर्मित ड्रॉट बीयर पर आयात शुल्क रू0 1.50/- प्रति बल्क लीटर तथा ड्राट बीयर को छोड़कर अन्य बीयर पोर्टर, साइडर, ऐल एवं कम तीव्रता के मादक पेय पर आयात शुल्क रु0 4/- प्रति बल्क लीटर निर्धारित है। प्रदेश में बियर की मांग, प्रदेश में उत्पादित बीयर से काफी अधिक है, जिसकी पूर्ति आयात से ही हो पाती है, परन्तु आयात फीस अधिक होने के कारण मांग की पूर्ति एवं प्रतिस्पर्धा की कमी है। अतः वर्ष 2019-20 हेतु ड्रॉट बीयर पर आयात शुल्क में कमी करते हुये रू0 1.00/- प्रति बल्क लीटर तथा ड्राट बीयर को

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

छोड़कर अन्य बीयर पोर्टर, साइडर, ऐल एवं कम तीव्रता के मादक पेय पर आयात शुल्क रु0 2/- प्रति बल्क लीटर निर्धारित किया है।

2.4.15 <u>भारत निर्मित बीयर के लेबुलों का अनुमोदन</u>:-

भारत निर्मित बीयर के लेबुलों की अनुमोदन फीस वर्ष 2018-19 में रु0 रु0 35,000/- प्रति लेबुल निर्धारित है। इसे रु0 5,000 प्रति लेबुल बढ़ाकर वर्ष 2019-20 हेतु रु0 40,000 प्रति लेबुल निर्धारित किया जाता है। यदि बीयर के किसी ब्राण्ड के ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन में परिवर्तित प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के बावजूद इसकी किसी धारिता वाली बोतल/कैन की एम0आर0पी0 में परिवर्तन नहीं होता है, तब संबंधित ब्राण्ड की प्रश्नगत् धारिता वाली बोतल/कैन के लेबुलों की मात्र निर्धारित अनुमोदन फीस जमा कराकर पूर्व प्रदत्त अनुमोदन को वर्ष 2019-20 हेतु नवीनीकृत कराया जायेगा। प्रतिबंध यह होगा कि लेबुलों के आकार, रंग, प्रिंटिंग इत्यादि में कोई परिवर्तन न किया गया हो। उक्त के अतिरिक्त कैग में आपूर्तित बीयर के लेबुलों का अनुमोदन कराया जाना भी अनिवार्य होगा।

2.4.16 <u>माइक्रो ब्रिवरी की स्थापना</u>:-

वर्ष 2019-20 में पात्रता की शर्तें पूर्ण करने वाले आवेदकों को माइक्रो ब्रिवरी का अनुज्ञापन स्वीकृत किया जायेगा। इस संबंध में माइक्रो ब्रिवरी स्थापना हेतु स्थापना अनुमति शुल्क रु0 50,000/- तथा वार्षिक लाइसेंस फीस रु0 1,00,000/- निर्धारित की जाती है। साथ ही उत्पादित बीयर पर प्रतिफल शुल्क की दर रु0 150/- प्रति ब0ली0 निर्धारित की जाती है।

2.5 <u>मॉडल शॉप्स</u>

2.5.1 <u>मॉडल शॉप्स की प्रोसेसिंग फीस</u>:-

वर्ष 2018-19 के लिये प्रोसेसिंग फीस की दर रु0 20,000/- प्रति आवेदन पत्र निर्धारित है। विभाग में ऑनलाइन व्यवस्था लागू करने एवं ढांचागत विकास में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु तथा व्यवस्थापन की प्रक्रिया में गम्भीर एवं वास्तविक आवेदकों को ही सम्मिलित होने का अवसर दिये जाने तथा अवास्तविक एवं अक्षम व्यक्तियों को प्रक्रिया में भाग लेने से रोकने के लिये प्रासेसिंग फीस बढ़ाकर वर्ष 2019-20 के लिये रु0 25,000/- प्रति आवेदन पत्र निर्धारित किया जाता है। इस पर तत्समय प्रचलित दर से जी0एस0टी नियमानुसार वसूल की जायेगी।

2.5.2 <u>मॉडल शॉप्स की लाइसेंस फीस</u>:-

वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित मॉडल शॉप्स की लाइसेंस फीस में 15 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये रू0 5,000/- के गुणांक में वर्ष 2019-20 हेतु लाइसेंस फीस निर्धारित की जाती है, परन्तु यह संबंधित प्रास्थिति/निकाय के लिये नवसृजित मॉडल शॉप्स हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस से कम नहीं होगी। प्रतिबंध यह होगा कि यदि किसी मॉडल शॉप्स में विदेशी मदिरा के उपभोग में अथवा बीयर के उपभोग में गत वर्ष 2017-18 की तुलना में 15 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होती है तब लाइसेंस फीस में वृद्धि, विदेशी मदिरा के उपभोग और बीयर के उपभोग में वृद्धि के प्रतिशत में से जो अधिक हो, के समतुल्य की जायेगी।

यह भी प्रतिबंध होगा कि जिन दुकानों का वर्ष 2018-19 हेतु व्यवस्थापन द्वितीय चरण अथवा अग्रतर चरणों के व्यवस्थापन में घटे हुये लाइसेंस फीस पर हुआ है उन दुकानों के वर्ष 2019-20 के लाइसेंस फीस के निर्धारण में उपरोक्त घटे हुये लाइसेंस फीस को संज्ञान में नहीं लिया जायेगा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बल्कि ऐसी दुकानों के वर्ष 2019-20 के लाइसेंस फीस निर्धारण में वर्ष 2018-19 हेतु प्रथम चरण के व्यवस्थापन हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस के आधार पर आगणन किया जायेगा।

नवसृजित मॉडल शॉप्स की लाइसेंस फीस में भी वृद्धि की जायेगी। वर्ष 2019-20 हेतु मॉडल शॉप्स की लाइसेंस फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

क्र0सं0	**निकाय**	**लाइसेंस फीस (रूपये में)**	**प्रतिभूति धनराशि (रूपये में)**
1	2	3	4
1.	नगर निगमों एवं ग्रेटर नोयडा सहित नोयडा के लिये।	न्यूनतम रुपये 50.00 लाख या ऐसे नगर की विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों की तत्समय निर्धारित/व्यवस्थित सर्वोच्च लाइसेंस फीस को मिलाकर प्राप्त धनराशि के समतुल्य लाइसेंस फीस, जो अधिक हो।	5.00 लाख
2.	अन्य स्थानों पर स्थित मॉडल शॉप्स के लिये।	न्यूनतम रूपये 17.50 लाख या ऐसे नगर की विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों की तत्समय निर्धारित/व्यवस्थित सर्वोच्च लाइसेंस फीस को मिलाकर प्राप्त धनराशि के समतुल्य लाइसेंस फीस, जो अधिक हो। प्रतिबंध यह होगा कि ग्रामीण क्षेत्र की मॉडल शॉप्स के संबंध में 05 कि0मी0 की परिधि के अंदर स्थित विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों की तत्समय निर्धारित/व्यवस्थित सर्वोच्च लाइसेंस फीस को मिलाकर प्राप्त धनराशि, जो अधिक हो, के समतुल्य लाइसेंस फीस निर्धारित की जायेगी।	2.20 लाख

उपरोक्त के अतिरिक्त मॉडल शॉप्स पर मदिरा पान की सुविधा अनुमन्य करने के लिये वर्ष 2018-19 हेतु रु0 2,00,000/- वर्ष या वर्ष के भाग के लिये निर्धारित है। वर्ष 2019-20 के लिये भी उक्त व्यवस्था को यथावत् रखी जाती है।

2.5.3 <u>मॉडल शॉप्स का सृजन</u>-

अवैध मदिरा की तस्करी व बिक्री की रोकथाम तथा असेवित क्षेत्रों में मानक गुणवत्ता की विदेशी मदिरा एवं बीयर की उपलब्धता हेतु वर्ष 2018-19 की आबकारी नीति के अनुसार 10 प्रतिशत नई दुकानों के सृजन करने का अधिकार आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 को प्रदत्त है। वर्ष 2019-20 हेतु वर्ष 2018-19 में व्यवस्थित कुल मॉडल शॉप्स के 02 प्रतिशत दुकानों के सृजन का अधिकार आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 को प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2018-19 में यह व्यवस्था निर्धारित है कि जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर वर्ष के दौरान कभी भी मॉडल शॉप्स का सृजन व व्यवस्थापन कराया जा सकता है। इस व्यवस्था को वर्ष 2019-20 हेतु यथावत् रखा जाताहै। प्रतिबंध यह है कि दुकानों की जियो टैगिंग का कार्य संपन्न होने के पश्चात ही सृजन के प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2.5.4 <u>मॉडल शॉप्स के अनुज्ञापनों का नवीनीकरण</u>:-

वर्ष 2018-19 की आबकारी नीति में यह व्यवस्था है कि ''मॉडल शॉप्स में वर्ष 2018-19 में पूर्व वर्ष की तुलना में 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक प्रतिफल शुल्क होने की स्थिति में विदेशी मदिरा तथा 30 प्रतिशत अथवा उससे अधिक बीयर का उपभोग होने की स्थिति में वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित शर्तों व देयताओं पर यदि अनुज्ञापी चाहे तो उसके अनुज्ञापन के नवीनीकरण की व्यवस्था अनुमन्य की जायेगी।"

<u>विदेशी मदिरा के संबंध में प्रस्ताव</u>:-

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017-18 तथा पूर्ववर्ती वर्षों में विदेशी मदिरा के उपभोग के आंकड़ों का संकलन जनपदीय कार्यालयों में 750 एम0एल0 की बोतलों के टर्म में किया जाता था। उपभोग पर प्राप्त राजस्व का आगणन औसत कुल प्रतिफल फीस प्रति बोतल(750 एम0एल0) के आधार पर किया जाता था। विदेशी मदिरा के उपभोग का विवरण ब्राण्डवार/धारितावार संकलित नहीं होता था। तत्क्रम में वर्ष 2017-18 में विदेशी मदिरा का राजस्व आंकलन किये जाने हेतु औसत कुल प्रतिफल फीस रु0 318/- प्रति बोतल (750 एम0एल0) निर्धारित करते हुये आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा परिपत्र संख्या 574-732/आठ-सांख्यिकी/राजस्व/4/लक्ष्य/2017-18 दिनांक 23.05.2017 निर्गत किया गया था।

अतः वर्ष 2017-18 में दुकान पर उसकी संचालन अवधि में हुये उपभोग (750 एम0एल0 की बोतलों के टर्म में) के आधार पर समानुपातिक रूप से वार्षिक उपभोग का आंकलन किया जायेगा और कुल प्रतिफल फीस (गतवर्ष का बोतल में उपभोग × रु0 318/प्रति बोतल) आगणित की जायेगी। दुकान पर वर्ष 2018-19 में माह दिसम्बर-2018 तक हुये उपभोग में सन्निहित राजस्व के आधार पर समानुपातिक रुप से वार्षिक उपभोग पर कुल प्रतिफल फीस (अतिरिक्त प्रतिफल फीस सहित) का आगणन किया जायेगा।

<u>बीयर के संबंध में प्रस्ताव</u>:-

वर्ष 2017-18 में दुकान पर उसकी संचालन अवधि में हुये उपभोग (650 एम0एल0 की बोतलों के टर्म में) के आधार पर समानुपातिक रूप से वार्षिक उपभोग का आंकलन किया जायेगा। वर्ष 2018-19 में माह जनवरी,2019_तक बोतल (650 एम0 एल0) के टर्म में दुकान पर हुये उपभोग के आधार पर समानुपातिक रुप से वार्षिक उपभोग का आगणन किया जायेगा।

वर्ष 2018-19 में पूर्व वर्ष की तुलना में विदेशी मदिरा में 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक प्रतिफल शुल्क होने की स्थिति में तथा बीयर का उपभोग 30 प्रतिशत अथवा उससे अधिक होने की स्थिति में वर्ष 2019-20 हेतु यदि अनुज्ञापी चाहे तो उसके अनुज्ञापन के नवीनीकरण की व्यवस्था निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमन्य की जायेगी:-

1- अंतिम व्यपगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

2- वर्ष 2018-19 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

3- अनुज्ञापी को इस आशय का शपथ पत्र भी देना होगा कि वह दिनांक 31.01.2019 तक गतवर्ष की समान अवधि में दुकान पर विदेशी मदिरा के हुये उपभोग में सन्निहित राजस्व से 40 प्रतिशत अधिक प्रतिफल शुल्क के समतुल्य विदेशी मदिरा का उपभोग तथा गत वर्ष की समान अवधि में दुकान पर बीयर के हुये उपभोग (650 एम0एल0 की बोतल के टर्म मे) से 30 प्रतिशत अधिक उपभोग सुनिश्चित करेगा। साथ ही संपूर्ण वर्ष

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2018-19 में दुकान पर वर्ष 2017-18 में विदेशी मदिरा के उपभोग में सन्निहित प्रतिफल शुल्क से 40 प्रतिशत अधिक प्रतिफल शुल्क के समतुल्य की निकासी तथा संपूर्ण वर्ष 2017-18 में हुयी बीयर के उपभोग (650एम0एल0बोतलों के टर्म में) से 30 प्रतिशत अधिक की निकासी(650 एम0एल0बोतलों के टर्म में) 15 मार्च, 2019 के पूर्व सुनिश्चित कर लेगा तथा ऐसी निकासी का उपभोग दिनांक 31.03.2019 तक सुनिश्चित कर लेगा। विफलता की दशा में उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जाये तथा उसकी वर्ष 2018-19 की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2019-20 की नवीनीकरण फीस व लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाये। प्रतिभूति की जब्ती की दशा में वर्ष 2018-19 हेतु आवश्यक प्रतिभूति की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

<u>नवीनीकरण की प्रक्रिया</u>

(क) सर्वप्रथम संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समस्त व्यवस्थित मॉडल शाप्स की सूची, संबंधित देयताओं एवं उपरोक्त आवश्यक अर्हताओं का विवरण न्यूनतम 02 बहुप्रचलित स्थानीय समाचार पत्रों और जनपद की वेबसाइट पर विज्ञप्ति के माध्यम से प्रकाशित कराकर उक्त सूची में अंकित दुकानों के अनुज्ञापियों से नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन मांगे जायेंगे।

(ख) उक्त सूची में वर्णित दुकानों के वर्ष 2018-19 के अनुज्ञापियों में से नवीनीकरण हेतु इच्छुक अनुज्ञापी द्वारा नवीनीकरण प्रार्थना पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत करते हुये उपरोक्त शपथ पत्र अपलोड किया जायेगा तथा प्रासेसिंग फीस और जी0एस0टी0 की धनराशि को ऑनलाइन जमा किया जायेगा। आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 03 कार्य दिवस के अंदर लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा नवीनीकरण पर निर्णय लेते हुये संबंधित इच्छुक अनुज्ञापी को नवीनीकरण शुल्क तथा दुकान की वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस की 50 प्रतिशत धनराशि 03 कार्य दिवस के अंदर जमा करने का निर्देश दिया जायेगा। शेष 50 प्रतिशत धनराशि 28 फरवरी, 2019 तक अनुज्ञापी को जमा करना अनिवार्य होगा। प्रतिभूति धनराशि के अंतर की धनराशि अनुज्ञापी द्वारा 31 मार्च,2019 तक जमा की जा सकेगी।

(ग) अनुज्ञापी द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने पर अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र का पालन न करने पर उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसकी वर्ष 2018-19 की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2019-20 की नवीनीकरण फीस व लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी। प्रतिभूति की जब्ती की दशा में वर्ष 2018-19 हेतु आवश्यक प्रतिभूति की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

नवीनीकरण से अवशेष मॉडल शॉप्स का व्यवस्थापन ई-लाटरी की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

2.5.5 <u>मॉडल शॉप्स की नवीनीकरण फीसः</u>-

मॉडल शॉप्स का वर्ष 2017-18 में नवीनीकरण किया गया था। तत्समय निकायवार लिये गये नवीनीकरण शुल्क में 15 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये वर्ष 2019-20 के लिए उसे रु0 1,000/- के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अगले गुणांक में निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

क्र0सं0	निकाय	वर्ष 2017-18 हेतु निर्धारित दर (रुपये में)	वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित दर (रुपये में)
1	**2**	**3**	**4**
1	नगर निगम क्षेत्र की दुकानों के लिए	75,000 प्रति दुकान	90,000 प्रति दुकान
2	नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों के लिए	65,000 प्रति दुकान	80,000 प्रति दुकान
3	नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों के लिए	45,000 प्रति दुकान	55,000 प्रति दुकान
4	ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के लिए	35,000 प्रति दुकान	45,000 प्रति दुकान

2.6 भांग

2.6.1 भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन:-

भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन वर्ष 2018-19 में निर्धारित नीति के अनुसार उत्तर प्रदेश आबकारी लाइसेंस (टेण्डर एवं नीलामी) नियमावली, 1991 के प्राविधानानुसार किया गया है। वर्ष 2019-20 हेतु भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन नियमावली, 2018 का प्रख्यापन किया जायेगा, जिसके अंतर्गत भांग की दुकानों का व्यवस्थापन ई-लाटरी प्रणाली से किये जाने का प्राविधान किया जायेगा। व्यवस्थापन हेतु प्रमुख मार्गदर्शक बिन्दु निम्नवत् हैं:-

(1) भांग की दुकानों के संबंध में वर्ष 2018-19 में प्राप्त बोली की धनराशि को संबंधित दुकान की लाइसेंस फीस माना जायेगा।

(2) जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जनपद की भांग की दुकानों से प्राप्त कुल बोली की धनराशि को दुकानों पर युक्तियुक्त ढंग से विभाजित किया जायेगा और इस प्रकार प्रत्येक दुकान की लाइसेंस फीस निर्धारित की जायेगी।

(3) भांग की दुकानों के एम0जी0क्यू0 पर ली जाने वाली बेसिक लाइसेंस फीस को अब प्रतिफल शुल्क कहा जायेगा तथा इसकी दर रु0 20/- प्रति कि0ग्रा0 निर्धारित की जाती है। किसी भांग की फुटकर दुकान की प्रतिभूति धनराशि उसकी लाइसेंस फीस और कुल प्रतिफल शुल्क के योग के 1/6 के समतुल्य होगी।

(4) ई-लाटरी हेतु अन्य शर्तें एवं प्रतिबंध विदेशी मदिरा दुकानों की ई-लाटरी के समान होंगे।

(5) किसी व्यक्ति को एक जनपद में दो से अधिक भांग की फुटकर दुकानों का अनुज्ञापन स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

2.6.2 भांग की दुकानों हेतु प्रोसेसिंग फीस-

वर्ष 2019-20 हेतु भांग की दुकानों का व्यवस्थापन ई-लाटरी प्रणाली से करने हेतु प्रोसेसिंग फीस के रूप में रू0 5,000/- प्रति आवेदन (प्रचलित दर से जी0एस0टी0 अलग से देय होगी) लिया जायेगा।

2.6.3 भांग की दुकानों हेतु निर्यात फीस-

वर्ष 2019-20 हेतु भांग के निर्यात पर रुपये 5/- प्रति किलोग्राम की दर से निर्यात फीस यथावत् रखी जाती है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2.6.4 <u>भांग की दुकानों की जियो टैगिंग</u>-

भांग की फुटकर दुकानों की जियो टैगिंग करायी जायेगी।

2.6.5 <u>भांग की थोक आपूर्ति</u>:-

भांग की फुटकर दुकानों को भांग की आपूर्ति जनपद के बंधित आबकारी गोदाम से की जायेगी। इस हेतु भांग दुकान के फुटकर अनुज्ञापी द्वारा निकासी की मात्रा में सन्निहित प्रतिफल शुल्क चालान द्वारा कोषागार में जमा किया जायेगा तथा भांग का क्रय मूल्य थोक आपूर्तक के बैंक खाते में आर0टी0जी0एस0 द्वारा जमा किया जायेगा। उपरोक्तानुसार जमा की गयी धनराशियों के प्रमाण सहित मांग पत्र जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जिस पर जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गमन आदेश निर्गत किया जायेगा।

2.7 <u>अन्य</u>

2.7.1 (क) <u>कतिपय नियमावलियों /विज्ञप्तियों में संशोधन</u>:-

वर्ष 2019-20 की नीति के अनुसार यथावश्यकता नई नियमावलियों के सृजन व प्रचलित नियमावलियों/अधिसूचनाओं/विज्ञप्तियों में समुचित संशोधन किया जायेगा।

(ख) वर्ष 2019-20 में मोनोकार्टन मे पैक की जाने वाली बोतलों पर क्यू0आर0कोड लगाये जाने के स्थान पर इनके मोनोकार्टन पर क्यू0आर0 कोड लगाये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(ग) देशी/विदेशी मदिरा/बीयर इत्यादि के लेबुलों का अनुमोदन ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करके किये जाने की व्यवस्था विकसित की जायेगी।

2.7.2 <u>मुकदमों के त्वरित निस्तारण एवं न्यायालयों में संख्या कम करने के संबंध में</u>-

(क) संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम,1910 की धारा-74 के अन्तर्गत फुटकर दुकानों पर प्रशमनीय अनियमितताओं के प्रकरणों में वर्ष 2018-19 में प्रशमन धनराशि के आरोपण के संबंध में पूर्व में निर्गत किये गये निर्देशों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

अनुज्ञापित परिसर में कैरामल, रंग, सुगंधि, होलोग्राम/श्रिंक स्लीव अथवा बारकोड, लेबुल, कैप्सूल, मुहर अथवा अन्य अवैध सामग्री का पाया जाना एक गम्भीर अपराध है और इसके लिये दुकान का निरस्तीकरण होना आवश्यक है। अतः वर्ष 2019-20 हेतु इस मद में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्र0सं0	अनियमितता/उल्लंघन का प्रकार	कार्यवाही
1	2	3
1	अनुज्ञापित परिसर में कैरामल, रंग, सुगंधि, होलोग्राम/श्रिंक स्लीव अथवा बारकोड, लेबुल, कैप्सूल, मुहर अथवा अन्य अवैध सामग्री का पाया जाना।	प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुये निरस्तीकरण की कार्यवाही किया जाना।

उक्त के अतिरिक्त स्टॉक रजिस्टर अद्यावधिक न रखने के कारण स्टॉक में हेरा-फेरी करने की संभावना बनी रहती है। अतः इस अनियमितता हेतु प्रशमन धनराशि बढ़ाते हुये निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

क्र0सं0	अनियमितता/उल्लंघन का प्रकार	प्रथम बार (रु0 में)	द्वितीय बार (रु0 में)	तृतीय बार (रु0 में)
1	2	3	4	5
1	स्टॉक रजिस्टर अद्यतन न भरा जाना	10,000	15,000	20,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उपरोक्तानुसार समस्त अनियमितताओं/उल्लंघनों के संबंध में विनिश्चित न्यूनतम प्रशमन धनराशियां संबंधित उल्लंघनों/अनियमितताओं के संबंध में आरोपित किये जाने का प्राविधान किया जाता है।

(ख) थोक अनुज्ञापनों पर पायी जाने वाले अनुज्ञापन शर्तों के उल्लंधन के प्रकरणों पर निम्नानुसार न्यूनतम प्रशमन धनराशि आरोपित होगी/कार्यवाही की जायेगी:-

क्र0सं0	**अनियमितता/उल्लंघन का प्रकार**	**प्रथम बार (रु0 में)**	**द्वितीय बार (रु0 में)**	**तृतीय बार (रु0 में)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	बिक्री में वृद्धि हेतु फुटकर अनुज्ञापी को प्रलोभन देना।	10000	20000	50000
2	बिना बार-कोड/क्यू0आर0 कोड का स्टॉक संचित पाया जाना	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुये अनुज्ञापन निरस्तीकरण की कार्यवाही		
3	स्टॉक लेखानुसार न पाया जाना	20000	30000	50000
4	इण्डेण्ट रजिस्टर उचित ढंग से अनुरक्षित न किया जाना	10000	20000	50000
5	अनुज्ञापित परिसर के बाहर नियमानुसार निर्धारित बोर्ड न लगा होना। बोर्ड पर आवश्यक सूचनायें अंकित न होना।	10000	15000	20000
6	सी0सी0टी0वी0 की समुचित व्यवस्था न होना अथवा इसका कार्यरत न होना।	10000	20000	30000
7	निर्धारित समयांतर्गत निकासी न दे पाना	20000	40000	50000
8	निर्धारित न्यूनतम स्टॉक न पाया जाना	20000	30000	50000
9	अनुज्ञापन प्रस्तुत न होना	5000	10000	30000
10	अनधिकृत विक्रेता द्वारा अनुज्ञापन का संचालन किया जाना	5000	10000	20000
11	साफ-सफाई की उचित व्यवस्था न होना	5000	10000	15000
12	परिसर का अनुमोदित न होना	10000	25000	50000
13	बिना अनुमति के परिसर का विस्तार करना	10000	20000	30000
14	फुटकर दुकानवार दी गयी निकासी की ब्राण्डवार, धारितावार, तीव्रतावार और पैकेजिंगवार मासिक सूचना समय से प्रेषित न किया जाना।	10000	20000	50000

नोटः-

(1) उपरोक्तानुसार समस्त अनियमितताओं/उल्लंधनों के संबंध में विनिश्चित प्रशमन धनराशियों को संबंधित उल्लंघनों/अनियमितताओं के संबंध में न्यूनतम निर्धारित माना जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) जनपद स्तर के थोक अनुज्ञापनों पर पाये गये अनुज्ञापन शर्तो के उल्लंघन के प्रकरणों को प्रशमित किये जाने तथा प्रशमन धनराशि स्वीकार किये जाने हेतु उप आबकारी आयुक्त एवं इससे उच्च स्तर के अधिकारियों को प्राधिकृत किया जाता है।

2.7.3 <u>आबकारी दुकानों का ई-लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन</u>:-

वर्ष 2018-19 में पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं सभी को अवसर की समानता प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रदेश के समस्त जनपदों में देशी मदिरा, विदेशी मदिरा तथा बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं मॉडल शॉप का व्यवस्थापन ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर ई-लाटरी के माध्यम से दुकानवार किया गया था। वर्ष 2019-20 हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में नवीनीकरण से अवशेष देशी मदिरा, विदेशी मदिरा तथा बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं मॉडल शॉप तथा भांग की समस्त दुकानों का व्यवस्थापन ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर दुकानवार ई-लाटरी प्रणाली से किया जायेगा। इस निमित्त ई-लाटरी के कुल 03 चरण सम्पन्न कराये जायेंगे। इसके पश्चात अवशेष दुकानों का व्यवस्थापन शासन स्तर पर लिये गये निर्णय के अनुसार किया जायेगा।

लाटरी के किसी चरण में किसी दुकान के लिये आवेदनकर्ता द्वारा स्वयं के नाम से मात्र एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकेगा। सह आवेदक की व्यवस्था समाप्त किया जाता है। प्रतिबंध यह होगा कि किसी भी आवेदक के पक्ष में एक जनपद में देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं मॉडल शॉप की कुल मिलाकर दो से अधिक दुकानें आवंटित नहीं की जायेंगी, जिसमें नवीनीकृत दुकानें भी सम्मिलित होंगी।

किसी दुकान हेतु एकल आवेदक की स्थिति में आवेदन नियमानुसार उपयुक्त पाये जाने पर दुकान का व्यवस्थापन संबंधित आवेदक के पक्ष में कर दिया जायेगा। इस व्यवस्था के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जायेंगे। दुकानों हेतु प्रोसेसिंग फीस ऑनलाइन ही जमा की जायेगी। साथ ही प्रोसेसिंग फीस पर देय जी0एस0टी भी नियमानुसार ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य होगा।

उल्लेखनीय है कि आवेदन पत्र के साथ नियमानुसार धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट, जो संबंधित दुकान के जनपद के जिला आबकारी अधिकारी के नाम से बना हो, की प्रति ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड की जायेगी। चयनित आवेदकों द्वारा धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट चयन के पश्चात 48 घण्टे के अन्दर संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करने होंगे अन्यथा उनका चयन अमान्य/निरस्त कर दिया जायेगा। धरोहर धनराशि के किसी बैंक ड्राफ्ट का प्रयोग लाटरी के किसी चरण में केवल 01 आवेदित दुकान के संबंध में ही किया जायेगा। यदि किसी बैंक ड्राफ्ट को लाटरी के किसी चरण में एक से अधिक आवेदित दुकानों के आवेदन पत्र में अपलोड किया गया पाया जायेगा तब प्रथम आवेदन पत्र को छोड़कर शेष समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेगें। चयनोपरान्त बैंक ड्राफ्ट की यह धनराशि उनके द्वारा देय बेसिक/लाइसेंस फीस की धनराशि में समायोजित कर ली जायेगी। अन्य नियमानुसार देय धनराशियां भी जमा करना अनिवार्य होगा।

ई-लाटरी का प्रत्येक चरण सम्पूर्ण प्रदेश में एक ही दिन कराया जायेगा तथा ई-लाटरी प्रणाली से दुकानों का व्यवस्थापन गत वर्ष की भांति एन0आई0सी0 के माध्यम से कराया जायेगा। ई-लाटरी से संबंधित सुसंगत सूचना को आबकारी विभाग की वेबसाइट के अतिरिक्त प्रत्येक जिले की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2.7.4 <u>प्रतिभूति की धनराशि /प्रतिभूति की धनराशि के अंतर, को जमा किये जाने की प्रक्रिया</u>:-

पूर्व वर्षों में प्रतिभूति की धनराशि अथवा प्रतिभूति के अंतर की धनराशि को लेखा शीर्षक 8443 में नगद जमा कराया जाता रहा है। उक्त व्यवस्था में यह अनुभव किया गया है कि अनुज्ञापियों द्वारा प्रतिभूति के रूप में जमा की गयी भारी धनराशि पर अनुज्ञापियों को कोई ब्याज अनुमन्य नहीं है तथा इसकी वापसी की प्रक्रिया भी जटिल है तथा अत्यंत विलम्ब से संपादित हो पाती है। लगातार नवीनीकरण होने की स्थिति में 03 वर्ष बाद इसका पुनर्भुगतान/अग्रेनीत कर पुनः जमा कराया जाना आवश्यक होता है अन्यथा इस धनराशि के 03 वर्ष पश्चात पुनर्भुगतान/अग्रेनीत करने में अत्यंत कठिनाई आती है। सामान्य रूप से भी पुनर्भुगतान प्राप्त करने में अनुज्ञापियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर कठिनाई बतायी जाती है। अतः ईज़ आफ डूइंग बिज़िनेस के दृष्टिकोण से वर्ष 2019-20 हेतु यह व्यवस्था की जाती है कि प्रतिभूति की धनराशि अथवा नवीनीकरण की स्थिति में प्रतिभूति के अंतर की धनराशि को राष्ट्रीय बचत-पत्र, जो संबंधित जिला आबकारी अधिकारी को प्लेज्ड हो, के रूप में जमा कराया जाय। पूर्व में नगद जमा की गयी प्रतिभूति तब तक मान्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय। आबकारी मुख्यालय पर जमा होने वाली प्रतिभूतियों से संबंधित राष्ट्रीय बचत पत्र आबकारी आयुक्त के पक्ष में प्लेज्ड होंगे।

2.7.5 <u>ई-लाटरी के प्रथम चरण के व्यवस्थापन से अवशेष दुकानों के व्यवस्थापन की प्रक्रिया</u>:-

प्रथम चरण के व्यवस्थापनोपरांत अवशेष अव्यवस्थित दुकानों को निर्धारित एम0जी0क्यू0/लाइसेंस फीस पर पुनः ऑनलाइन आवेदन पत्र मांग कर ई-लाटरी के माध्यम से द्वितीय चरण एवं तृतीय चरण में व्यवस्थित कराया जायेगा।

2.7.6 <u>दुकानों को दैनिक आधार पर चलाया जाना</u>:-

यदि किन्हीं कारणों से कोई दुकान अव्यवस्थित चल रही हो तब वर्ष 2018-19 की भांति ही वर्ष 2019-20 हेतु दैनिक आधार पर आगणित देयताओं पर ऑफर मांग कर व्यवस्थापन कराया जायेगा।

इस निमित्त देशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों की दैनिक बेसिक लाइसेन्स फीस एवं लाइसेंस फीस (प्रतिफल फीस) दुकान की निर्धारित वार्षिक बेसिक लाइसेंस फीस एवं लाइसेंस फीस (प्रतिफल फीस) का 1/365 भाग लिया जाना तथा विदेशी मदिरा, बीयर एवं मॉडल शॉप हेतु दुकान की दैनिक लाइसेंस फीस उनकी वार्षिक लाइसेंस फीस का 1/365 भाग लिया जाना निर्धारित है।

दैनिक व्यवस्थापन हेतु न्यूनतम 02 बहु प्रचलित स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन के साथ-साथ इस विज्ञप्ति को जनपद/विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने के बाद वर्ष 2019-20 के लिये निर्धारित दैनिक लाइसेन्स फीस के सापेक्ष जो भी सर्वोच्च ऑफर प्राप्त हो, पर कराया जायेगा। दो या दो से अधिक समान ऑफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक मैनुअल लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा। इस प्रकार के व्यवस्थापन से राजस्व सुरक्षित हो सकेगा तथा क्षेत्र असेवित न रहने के कारण मदिरा की तस्करी पर भी नियंत्रण लगेगा।

2.7.7 <u>दुकानों का मध्य सत्र में पुनर्व्यवस्थापन</u>:-

दुकानों के मध्य सत्र में पुनर्व्यवस्थापन की स्थिति में वर्ष 2019-20 हेतु सार्वजनिक विज्ञापन देकर ई-टेण्डर प्रणाली के माध्यम से ऑफर मांगकर व्यवस्थापन कराया जायेगा। ई-टेण्डर की व्यवस्था का लाभ यह होगा कि किसी पूर्व व्यवस्थित दुकान के निरस्त होते ही बिना कोई समय खोये अनुज्ञापन प्राधिकारी अर्थात कलेक्टर अपने जनपद की उस दुकान के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तत्काल कार्यवाही कर सकेंगे। इससे आबकारी राजस्व की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

दैनिक व्यवस्थापन की आवश्यकता न्यून होगी। देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शॉप एवं भांग की दुकानों की देयताओं का निर्धारण, इस प्रयोजन हेतु सुसंगत नियमावलियों में दिये गये प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि दुकानों के मध्य सत्र में पुर्नव्यवस्थापन हेतु देशी मदिरा की दुकानों के संदर्भ में यह व्यवस्था है कि लाइसेंस फीस/बेसिक लाइसेंस फीस की देयताओं एवं अन्य देयताओं का निर्धारण वर्ष की अवशेष अवधि के लिये समानुपातिक रूप से देय फीस/देयताओं के अनुरूप किया जाता है। उपरोक्त व्यवस्था ही विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, बीयर की फुटकर दुकानों, मॉडल शॉप एवं भांग की दुकानों के लिये भी निर्धारित की जाती है।

2.7.8 <u>अभिलेखों का प्रस्तुतीकरण</u>:-

(क) वर्ष 2019-20 में मदिरा की फुटकर दुकानों के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ पैन कार्ड, आधार कार्ड, हैसियत प्रमाण पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र तथा आयकर रिटर्न का विवरण दिया जाना अनिवार्य होगा।

(ख) देशी मदिरा की दुकान के लिये दुकान की बेसिक लाइसेंस फीस एवं लाइसेंस फीस के योग की धनराशि के 1/6 भाग के समतुल्य तथा विदेशी मदिरा, बियर और भांग की फुटकर दुकानों तथा मॉडल शॉप के लिये दुकान की लाइसेंस फीस की धनराशि के अन्यून धनराशि का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र (मूलरुप में) वांछित होगा तथा चयन होने की दशा में इसे मूल रूप में प्राप्त करने के उपरान्त ही अनुज्ञापन निर्गत किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 के पश्चात निर्गत हैसियत प्रमाण-पत्र मान्य होंगे। यदि हैसियत प्रमाण-पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति किसी अन्य जनपद के आबकारी कार्यालय में जमा है तब इसकी प्रमाणित छायाप्रति, जिसे मूल प्रति प्राप्तकर्ता जिला आबकारी अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ग) आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शपथ-पत्र भी अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(घ) वर्ष 2019-20 हेतु नवीनीकृत होने वाली दुकानों के संबंध में वर्ष 2018-19 हेतु व्यवस्थापन के दौरान प्रस्तुत किये गये हैसियत प्रमाण-पत्र मान्य होंगे। नवीनीकरण हेतु नये और अधिक मूल्य के हैसियत प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

2.7.9 <u>वर्ष 2020-21 हेतु दुकानों का नवीनीकरण</u>:-

(1) जिन देशी मदिरा दुकानों पर वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित एम0जी0क्यू0 से 02 प्रतिशत अधिक का उपभोग पाया जायेगा, उन दुकानों के अनुज्ञापन, तत्समय निर्धारित शर्तो/प्रतिबंधों/देयताओं और अनुज्ञापी की इच्छा पर वर्ष 2020-21 हेतु नवीनीकृत किये जाने का आधार होगा। इस हेतु वार्षिक एम0जी0क्यू0 और यथास्थिति समानुपातिक आधार पर दुकान पर किये गये उपभोग का आंकलन किया जायेगा।

(2) वर्ष 2019-20 में जिन विदेशी मदिरा दुकानों पर वर्ष 2018-19 में हुये उपभोग में सन्निहित प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के योग की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का योग सन्निहित होगा, उन दुकानों के अनुज्ञापन, तत्समय निर्धारित शर्तो/प्रतिबंधों/देयताओं और अनुज्ञापी की इच्छा पर वर्ष 2020-21 हेतु नवीनीकृत किये जाने का आधार होगा। इस हेतु दुकान पर संचालन अवधि में हुये उपभोग के आधार पर समानुपातिक रूप से वार्षिक उपभोग का आंकलन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) वर्ष 2019-20 में जिन बीयर दुकानों पर वर्ष 2018-19 में हुये उपभोग में सन्निहित प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के योग की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का योग सन्निहित होगा, उन दुकानों के अनुज्ञापन, तत्समय निर्धारित शर्तो/प्रतिबंधों/देयताओं और अनुज्ञापी की इच्छा पर वर्ष 2020-21 हेतु नवीनीकृत किये जाने का आधार होगा। इस हेतु दुकान पर संचालन अवधि में हुये उपभोग के आधार पर समानुपातिक रूप से वार्षिक उपभोग का आंकलन किया जायेगा।

(4) वर्ष 2019-20 में जिन मॉडल शॉप पर वर्ष 2018-19 में विदेशी मदिरा एव बीयर के हुये उपभोग में सन्निहित प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के योग की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का योग सन्निहित होगा, उन दुकानों के अनुज्ञापन, तत्समय निर्धारित शर्तो/प्रतिबंधों/देयताओं और अनुज्ञापी की इच्छा पर वर्ष 2020-21 हेतु नवीनीकृत किये जाने का आधार होगा। इस हेतु दुकान पर संचालन अवधि में हुये उपभोग के आधार पर समानुपातिक रूप से वार्षिक उपभोग का आंकलन किया जायेगा। प्रतिबंध यह होगा कि वर्ष 2020-2021 की आबकारी नीति में उक्त के संबंध में लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

2.7.10 <u>डिजिटल इंडिया प्रोग्राम</u>:-

डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को बढ़ावा देने हेतु आबकारी राजस्व को ऑनलाइन जमा करने की व्यवस्था प्रारम्भ की गयी है। वर्ष 2018-19 की भांति आबकारी राजस्व से संबंधित समस्त धनराशियों का भुगतान कोषागार में इलेक्ट्रानिक पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से प्रोत्साहित किया जायेगा। मदिरा की थोक/फुटकर बिक्री के सभी स्थलों पर पेमेन्ट की व्यवस्था वर्ष 2018-19 की भांति कैश के साथ-साथ इलेक्ट्रानिक पेमेन्ट प्लेटफार्म यथा-डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम, आर0टी0जी0एस0, एन0ई0एफ0टी0 एवं अन्य इसी प्रकार के माध्यमों से कराया जायेगा।

2.7.11 <u>मदिरा की फुटकर दुकानों की जियो फेंसिंग तथा इनपर पी0ओ0एस0 मशीनों के प्रयोग का प्रचलन आरंम्भ करना</u>:-

वित्तीय वर्ष 2019-20 में देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर की समस्त फुटकर दुकानों तथा समस्त मॉडल शॉप और भांग की फुटकर दुकानों की जियो फेंसिंग करायी जायेगी। विक्रीत मदिरा की बोतल के क्यू0आर0कोड को स्कैन करके सूचना अपलोड करने हेतु पी0ओ0एस0 (प्वाइंट ऑफ सेल) के माध्यम से बिक्री किये जाने का प्रचलन प्रारम्भ किया जाएगा। इसके लिये मदिरा की प्रत्येक फुटकर दुकान पर पी0ओ0एस0 मशीन की व्यवस्था की जायेगी, परन्तु इसकी अनिवार्यता नहीं होगी।

2.7.12 <u>ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली</u>:-

मदिरा उत्पादन एवं निकासी की व्यवस्था को इलेक्ट्रानिक माध्यम से ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली द्वारा नियंत्रित करने की कार्यवाही प्रचलित है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत आसवनियों/यवासवनियों एवं बाण्डधारक इकाइयों में बाटलिंग/आयात के स्तर से मदिरा के विभिन्न ब्राण्ड एवं धारिताओं को रिटेल स्तर तक इलेक्ट्रानिक प्रणाली द्वारा ट्रैक एण्ड ट्रेस किये जाने की व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जायेगा। अतः आसवनियों, थोक अनुज्ञापनों तथा फुटकर अनुज्ञापनों के स्तर पर ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली हेतु आवश्यक व्यवस्था का अनुरक्षण अनिवार्य किया जाता है।

2.7.13 <u>औद्योगिक इकाइयों का आधुनिकीकरण</u>:-

प्रदेश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश के आबकारी विभाग के कार्यक्षेत्र से संबंधित औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन क्षमता, उत्पादन प्रक्रिया एवं उपयोग किये जाने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वाली प्रौद्योगिकी का अध्ययन विशेषज्ञों से कराते हुये उसमें सुधार लाये जाने की संभावनाओं को चिन्हित करने एवं उसके क्रियान्वयन हेतु अध्ययन कराया जायेगा। राजस्वहित में प्रदेश में स्थापित छोटी देशी मदिरा उत्पादक आसवनियों को अपनी उत्पादन क्षमता के विस्तार, प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित प्लांट मशीनरी इत्यादि लगाये जाने तथा आटोमेशन हेतु प्रेरित किये जाने के क्रम में वर्ष 2018-19 में उनके द्वारा उत्पादन बढ़ाये जाने के किये गये प्रयासों के मूल्यांकन के आलोक में उन्हें समुचित फिस्कल इंसेंटिव दिये जाने पर विचार किया जायेगा।

2.7.14 <u>विभाग का सुदृढ़ीकरण</u>:-

राजस्व वर्धन हेतु विभाग को और अधिक संसाधन सुदृढ़ बनाया जाना अत्यंत आवश्यक है। इस संबंध में निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही की जायेगी-

(1) वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु विभाग के आई0टी0 सेल, कम्प्यूटरीकरण एवं सूचना प्रौद्योगिकी पर विशेष बल दिये जाने तथा सर्वर के क्रय की आवश्यकता होगी।

(2) करापवंचन रोकने के लिये विभाग में रिक्त पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति शीध्र किया जाना भी आवश्यक होगा।

(3) प्रभावी प्रवर्तन कार्य के दृष्टिगत वर्तमान में विभाग में वाहनों की संख्या पर्याप्त नहीं है। प्रदेश की पश्चिमी सीमा जो अंतर्राज्यीय मदिरा तस्करी से अत्यधिक कुप्रभावित है, पर स्थित सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़ व आगरा मण्डलों के जनपदों में प्रति जनपद 05 संविदा वाहनों की तथा प्रदेश के शेष नगर निगम स्तरीय जनपदों हेतु प्रति जनपद 05, और अवशेष प्रत्येक जनपद हेतु 02 संविदा वाहनों की आवश्यकता होगी। एस0एस0एफ0 इकाइयों हेतु संविदा वाहन पूर्व वर्षों की भाँति आवश्यक होंगे। इस प्रकार कुल 243 संविदा वाहनों की आवश्यकता होगी।

(4) अपराध निरोधक सेक्टरों तथा क्षेत्रों का पुनः सीमांकन किया जायेगा।

2.7.15 <u>देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बियर की फुटकर दुकानों एवं मॉडल शॉप्स से बिक्री का समय</u>:-

वर्ष 2018-19 के लिये देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों एवं मॉडल शॉप्स के खुलने/बिक्री का समय दोपहर 12.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक है। राजस्व लक्ष्यों की पूर्ति हेतु देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों एवं मॉडल शॉप्स से बिक्री का समय तत्काल प्रभाव से परिवर्तन कर प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक किया जाता है।

2.7.16 <u>आसवनी तथा इनसे संबंधित थोक अनुज्ञापनों की वैधता अवधि का निर्धारण</u>:-

सम्प्रति आसवनी अनुज्ञापन पी0डी0-2 की वैधता अवधि 02 वर्ष निर्धारित है। बॉटलिंग लाइसेंस एफ0एल0-3/एफ0एल0-3ए तथा संबंधित थोक अनुज्ञापन एफ0एल0-1/एफ0एल0-1ए की वैधता अवधि 01 वर्ष निर्धारित है। आसवनी तथा इनसे संबंधित थोक गोदाम दीर्घकालिक निवेश होते हैं। अतः इज ऑफ डूइंग बिजनेस के दृष्टिगत् उक्त समस्त अनुज्ञापनों की अवधि बढ़ा करके 02 वर्ष निर्धारित की जाती है। इस प्रयोजनार्थ उनसे लाइसेंस फीस सम्प्रति प्रचलित वार्षिक लाइसेंस फीस का दो गुना लिया जाएगा। उपरोक्त अनुज्ञापनों को ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त कर स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था जायेगी।

2.7.17 <u>अवशेष स्टाक का निस्तारण</u>:-

वित्तीय वर्ष 2018-19 की समाप्ति पर प्रत्येक अनुज्ञापन पर उपलब्ध अवशेष स्टाक की मात्रा शून्य किये जाने के क्रम में यह निर्णय लिया गया है कि मदिरा की थोक आपूर्ति करने वाले

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुज्ञापनों पर दिनांक 22.03.2019 तक ही मांग पत्र स्वीकार किये जायेंगे। मदिरा उत्पादक इकाइयों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि माह-मार्च 2019 के अंतिम सप्ताह में उनकी इकाई में वर्ष 2018-19 का स्टाक शून्य हो जाय। उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने के पश्चात भी यदि अनुज्ञापनों पर मदिरा का स्टाक बचता है, तब वर्ष 2018-19 की समाप्ति पर जनपदों के विभिन्न अनुज्ञापनों पर दिनांक 31.03.2019 को बिक्री अवधि के पश्चात् अवशेष स्टाक की ब्राण्डवार, धारितावार, तीव्रतावार और पैकिजिंगवार घोषणा अनुज्ञापी द्वारा जिला आबकारी अधिकारी/संबंधित प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त के समक्ष दिनांक 01.04.2019 को दोपहर 12.00 बजे तक की जायेगी तथा इस अवशेष स्टाक की सूचना जिला आबकारी अधिकारी/संबंधित प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा दिनांक 05.04.2019 तक आयुक्तालय को अनिवार्य रुप से उपलब्ध करायी जायेगी। उपरोक्तानुसार घोषित अवशेष स्टाक का निस्तारण शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

अवशेष स्टाक के निस्तारण में कोई अनियमितता पाये जाने की स्थिति में लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा। इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु मदिरा के अवशेष स्टाक का स्टाक रजिस्टर पृथक से बनाया जायेगा, जिसका निरीक्षण/अनुश्रवण उसके द्वारा प्रस्तुत इण्डेण्ट और अनुज्ञापी द्वारा किये गये उपभोग के आंकड़ों का मिलान आबकारी निरीक्षक द्वारा किया जायेगा। उपरोक्त अवशेष स्टाक को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

वर्ष 2018-19 की समाप्ति पर दिनांक 31.03.2019 को अनुज्ञापनों की संचालन अवधि के पश्चात् इन पर उपलब्ध अवशेष मदिरा के स्टाक के निस्तारण के संबंध में निम्नानुसार प्रक्रिया लागू होगी:-

(क) <u>देशी मदिरा</u>

1. देशी मदिरा की फुटकर दुकानों पर उपलब्ध अवशेष स्टाक को जनपद के थोक अनुज्ञापन पर सुरक्षित रखते हुये इसकी नीलामी आबकारी आयुक्त की अनुमति से जिला आबकारी अधिकारी द्वारा, प्रभार के उप आबकारी आयुक्त की उपस्थिति में कराया जायेगा। उक्त नीलामी में प्रदेश की पेय मदिरा आसवनियों को ही भाग लेने की अनुमति होगी। इस प्रकार प्राप्त मदिरा का आसवनियों द्वारा नियमानुसार पुर्नआसवन करना अनिवार्य होगा तथा इससे पूर्व स्टाक पर लगे बारकोड व क्यू0आर0कोड को उचाड़कर सुरक्षित रखा जायेगा। इस हेतु गठित समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उचाडे गये बारकोड व क्यू0आर0कोड को समिति के समक्ष नष्ट किया जायेगा। पुर्नआसवित स्प्रिट का लेखा अलग से संरक्षित किया जायेगा तथा पेय मदिरा के निर्माण में इसका उपयोग किये जाने से पूर्व इसका परीक्षण केन्द्रीय प्रयोगशाला से कराया जाना अनिवार्य होगा। नीलामी से प्राप्त धनराशि को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जनपद के कोषागार में लेखा शीर्षक 8443 प्रतिभूति व अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत जमा किया जायेगा तथा जमा की गयी धनराशि को तत्पश्चात समानुपातिक रूप से संबंधित अनुज्ञापियों को वितरित किया जायेगा। अवशेष देशी मदिरा की नीलामी हेतु इच्छुक आसवक उपलब्ध न होने पर अनुज्ञापियों को कोई मूल्य देय नहीं होगा तथा अवशिष्ट देशी मदिरा को उप आबकारी आयुक्त प्रभार की देख रेख में, जिला आबकारी अधिकारी व स्थानीय उप जिलाधिकारी की संयुक्त समिति द्वारा, वीडियोग्राफी कराते हुये, नष्ट कर दिया जायेगा।

2. वर्ष 2018-19 की समाप्ति पर सी0एल0-2 अनुज्ञापनों पर उपलब्ध बार-कोड/ क्यू0आर0कोड रहित अवशेष स्टाक को उप आबकारी आयुक्त प्रभार की देख-रेख में, जिला

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आबकारी अधिकारी व स्थानीय उप जिलाधिकारी की संयुक्त समिति द्वारा, वीडियोग्राफी कराते हुये, नष्ट कर दिया जायेगा।

3. वर्ष 2018-19 में व्यवस्थित देशी मदिरा के थोक अनुज्ञापनों सी0एल0-2 पर उपलब्ध क्यू0आर0कोड युक्त अवशेष स्टाक को वर्ष 2019-20 हेतु व्यवस्थित जनपद के किसी थोक अनुज्ञापन पर सुरक्षित रखते हुये इसकी नीलामी आबकारी आयुक्त की अनुमति से जिला आबकारी अधिकारी द्वारा, प्रभार के उप आबकारी आयुक्त की उपस्थिति में कराया जायेगा। उक्त नीलामी में प्रदेश की पेय मदिरा आसवनियों को ही भाग लेने की अनुमति होगी। इस प्रकार प्राप्त मदिरा का आसवनियों द्वारा नियमानुसार पुर्नआसवन करना अनिवार्य होगा तथा इससे पूर्व स्टाक पर लगे बारकोड व क्यू0आर0कोड को उचाड़कर सुरक्षित रखा जायेगा। इस हेतु गठित समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उचाडे गये बारकोड व क्यू0आर0कोड को समिति के समक्ष नष्ट किया जायेगा। पुर्नआसवित स्प्रिट का लेखा अलग से संरक्षित किया जायेगा तथा पेय मदिरा के निर्माण में इसका उपयोग किये जाने से पूर्व इसका परीक्षण केन्द्रीय प्रयोगशाला से कराया जाना अनिवार्य होगा। नीलामी से प्राप्त धनराशि को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जनपद के कोषागार में लेखा शीर्षक 8443 प्रतिभूति व अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत जमा किया जायेगा तथा जमा की गयी धनराशि को तत्पश्चात समानुपातिक रूप से संबंधित अनुज्ञापियों को वितरित किया जायेगा। अवशेष देशी मदिरा के नीलामी हेतु इच्छुक आसवक उपलब्ध न होने पर अनुज्ञापियों को कोई मूल्य देय नहीं होगा तथा अवशिष्ट देशी मदिरा को उप आबकारी आयुक्त प्रभार की देख रेख में, जिला आबकारी अधिकारी व स्थानीय उप जिलाधिकारी की संयुक्त समिति द्वारा, वीडियोग्राफी कराते हुये, नष्ट कर दिया जायेगा।

4. देशी मदिरा उत्पादक आसवनियों में उपलब्ध देशी मदिरा के ऐसे अवशेष स्टाक जिस पर बार कोड एवं क्यू0आर0कोड लगे हैं तथा वर्ष 2018-19 का निर्धारित प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क जमा नहीं हुआ है की री-बॉटलिंग सहित वर्ष 2019-20 के बारकोड/क्यू0आर0कोड/लेबुल चस्पा करते हुये वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित प्रतिफल शुल्क तथा अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के योग की धनराशि जमा कराकर इसकी बिक्री अनुमन्य होगी।

(ख) <u>विदेशी मदिरा/बीयर/वाइन इत्यादि</u>

1. विदेशी मदिरा/बीयर की फुटकर दुकानों/मॉडल शॉप्स/एफ0एल0-1/एफ0एल0-1ए/ एफ0एल0-2/एफ0एल0-2बी/बार/एफ0एल0-2डी/एफ0एल0-2ए/ एफ0एल0-9/ एफ0एल0-9ए पर उपलब्ध क्यू0आर0 कोड रहित अवशेष स्टाक को उप आबकारी आयुक्त प्रभार की देख रेख में, जिला आबकारी अधिकारी व स्थानीय उप जिलाधिकारी की संयुक्त समिति द्वारा, वीडियोग्राफी कराते हुये, नष्ट कर दिया जायेगा।

2. विदेशी मदिरा/बीयर की फुटकर दुकानों/ मॉडल शॉप्स, जिनका वर्ष 2019-20 हेतु नवीनीकरण नहीं हुआ है, पर उपलब्ध अवशेष स्टाक उप आबकारी आयुक्त प्रभार की देख रेख में, जिला आबकारी अधिकारी व स्थानीय उप जिलाधिकारी की संयुक्त समिति द्वारा, वीडियोग्राफी कराते हुये, नष्ट कर दिया जायेगा।

3. वर्ष 2018-19 की समाप्ति के पश्चात् बारक्लब अनुज्ञापनों में भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर/समुद्रपार आयातित मदिरा के अवशेष स्टाक पर वर्ष 2018-19 के प्रतिफल शुल्क

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

की दरों के 10 प्रतिशत के समतुल्य स्टाक रोल ओवर शुल्क तथा प्रतिफल शुल्क व अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के योग के अंतर की धनराशि जमा कराकर अवशेष स्टाक का 31.05.2019 तक निस्तारण सुनिश्चित किया जायेगा, किन्तु भारत निर्मित विदेशी मदिरा/समुद्रपार आयतित ऐसी मदिरा जिसकी वर्ष 2018-19 में घोषित ई0डी0पी0/एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य रू0 1,000/- प्रति 750 एम0एल0 से अधिक थी, उस मदिरा के अवशेष स्टाक का निस्तारण करने हेतु 31.03.2020 तक समय प्रदान किया जायेगा। ऐसे स्टाक, जिसके निस्तारण की निर्धारित तिथि 31.05.2019 होगी, को दिनांक 31.05.2019 के पश्चात भी अविक्रीत पाये जाने पर, उप आबकारी आयुक्त प्रभार की देख रेख में, जिला आबकारी अधिकारी व स्थानीय उप जिलाधिकारी की संयुक्त समिति द्वारा, वीडियोग्राफी कराते हुये, नष्ट कर दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये जाने के आशय का एक शपथ-पत्र अनुज्ञापी द्वारा प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

4. बाण्ड अनुज्ञापनों पर उपलब्ध अवशेष स्टाक जिस पर बारकोड/क्यू0आर0 कोड लगे हैं और ब्राण्ड पंजीकृत हैं, के अनुज्ञापियों द्वारा वर्ष 2019-20 में पुनः अनुज्ञापन प्राप्त किये जाने की दशा में, उक्त स्टाक पर वर्ष 2018-19 की एम0आर0पी0 का 02 प्रतिशत स्टाक रोल ओवर शुल्क तथा वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित प्रतिफल शुल्क व अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के योग के अंतर की धनराशि निकासी के पूर्व जमा की जायेगी और इसकी दिनांक 15.04.2019 तक निकासी कर दी जायेगी। उक्त अवशेष स्टाक का निस्तारण जनपद स्तरीय थोक अनुज्ञापनों द्वारा 21.04.2019 तक कर दिया जाना अनुमन्य होगा। फुटकर अनुज्ञापियों द्वारा उक्त स्टाक की बिक्री दिनांक 30.04.2019 तक किया जाना अनुमन्य होगा। उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथियों के पश्चात् निकासी से अवशेष बचे स्टाक को निर्माता आसवनी/यवासवनी को वापस कर दिया जायेगा। उक्त व्यवस्था के अंतर्गत ऐसे बीयर के उपलब्ध अवशेष स्टाक जिसकी शेल्फ लाइफ समाप्त हो चुकी हो, का निस्तारण न करते हुये इसे उप आबकारी आयुक्त प्रभार की देख रेख में, जिला आबकारी अधिकारी व स्थानीय उप जिलाधिकारी की संयुक्त समिति द्वारा, वीडियोग्राफी कराते हुये, नष्ट कर दिया जायेगा। अपंजीकृत ब्राण्डों वाले स्टाक को निर्माता आसवनी/यवासवनी को वापस किया जा सकेगा।

5. एफ0एल0-2ए/एफ0एल0-9/9ए अनुज्ञापनों में विदेशी मदिरा/बीयर/वाइन/एल0ए0बी0 इत्यादि के अवशेष स्टाक पर प्रतिफल शुल्क व अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के योग का अंतर जमा कराकर इसकी बिक्री दिनांक 30.04.2019 तक प्रत्येक दशा में करते हुये इसका निस्तारण किया जायेगा। उक्त तिथि के पश्चात अविक्रीत अवशेष स्टाक को उप आबकारी आयुक्त प्रभार की देख रेख में, जिला आबकारी अधिकारी व स्थानीय उप जिलाधिकारी की संयुक्त समिति द्वारा, वीडियोग्राफी कराते हुये, नष्ट कर दिया जायेगा।

6. समस्त अनुज्ञापनों पर बीयर/एल0ए0बी0 के ऐसे अवशेष स्टाक, जिसकी शेल्फ लाइफ समाप्त हो जाये, को उप आबकारी आयुक्त प्रभार की देख-रेख में जिला आबकारी अधिकारी व स्थानीय उप जिलाधिकारी की संयुक्त समिति द्वारा, वीडियोग्राफी कराते हुये, नष्ट कर दिया जायेगा।

7. उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित व्यवस्था भी की जाती हैः-

(क) वर्ष 2018-19 की समाप्ति के पश्चात् अवशेष जिन ब्राण्डों का रजिस्ट्रेशन वर्ष 2019-20 हेतु होगा उन ब्राण्डों पर प्रतिफल फीस/अभिकर की धनराशि तदनुसार आगणित करने पर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

यदि प्रतिफल फीस/अभिकर/एम0आर0पी0 में कमी होती है तो उक्त स्टाक पर नयी एम0आर0पी0 के स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय किया जायेगा।

(ख) जिन ब्राण्डों का पंजीकरण वर्ष 2019-20 हेतु करा लिया जाता है, उन ब्राण्डों पर प्रतिफल फीस/अभिकर की धनराशि तदनुसार आगणित करने पर यदि प्रतिफल फीस/ अभिकर/एम0आर0पी0 में वृद्धि होती है तो प्रतिफल फीस एवं अतिरिक्त प्रतिफल फीस के योग के अंतर की धनराशि जमा करायी जायेगी तथा उक्त स्टाक पर नयी एम0आर0पी0 के स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय किया जायेगा।

(ग) जिन ब्राण्डों का पंजीकरण वर्ष 2019-20 हेतु नहीं कराया जाता है, उन ब्राण्डों की प्रतिफल फीस/अभिकर/एम0आर0पी0 उनकी वर्ष 2018-19 के लिये घोषित ई0डी0पी0/ ई0बी0पी0 पर वर्ष 2019-20 के नये सूत्र के अनुसार निर्धारित की जायेगी। ऐसी स्थिति में अवशेष स्टाक का निस्तारण निम्नवत् किया जायेगा:-

(1) नये सूत्र के अनुसार प्रतिफल फीस/अभिकर का आगणन करने पर यदि प्रतिफल फीस/अभिकर एवं एम0आर0पी0 की धनराशि में कमी होती है तो उक्त स्टाक पर नयी एम0आर0पी0 के स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय किया जायेगा।

(2) नये सूत्र के अनुसार प्रतिफल फीस/अभिकर का आगणन करने पर यदि प्रतिफल फीस/अभिकर एवं एम0आर0पी0 दोनों में वृद्धि होती है तो प्रतिफल फीस व अतिरिक्त प्रतिफल फीस के योग के अंतर की धनराशि जमा कराकर उक्त स्टाक पर नयी एम0आर0पी0 के स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय किया जायेगा।

(3) नये सूत्र के अनुसार प्रतिफल फीस/अभिकर का आगणन करने पर यदि प्रतिफल फीस/अभिकर में कमी होती है, किन्तु एम0आर0पी0 में वृद्धि होती है तब वर्ष 2018-19 की एम0आर0पी0 पर ही बिक्री की जायेगी।

उपरिवर्णित स्थितियों के अतिरिक्त उत्पन्न प्रकरणों में आबकारी आयुक्त द्वारा पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

2.7.18 <u>वर्ष 2019-20 के लिये अनुमानित राजस्व</u>:-

क्र0सं0	मद	वर्ष 2018-19 की आबकारी नीति में अंकित अनुमानित राजस्व (करोड़ रु0 में)	वर्ष 2018-19 में अनुमानित राजस्व प्राप्ति (करोड़ रु0 में)	माह नवम्बर-2018 तक की प्राप्तियां (करोड़ रु0 में)	वर्ष 2019-20 में संभावित राजस्व वृद्धि (करोड़ रु0 में)	वर्ष 2019-20 में कुल अनुमानित राजस्व प्राप्ति (करोड़ रु0 में)
1	2	3	4	5	6	7
1	**देशी मदिरा-** प्रतिफल फीस, बेसिक लाइसेंस फीस व अन्य प्राप्तियां	9738.81	11700	6824	721	12421
2	**विदेशी मदिरा-** प्रतिफल फीस, लाइसेंस फीस व	7484.84	8900	5485	1609	10509

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	अन्य प्राप्तियां					
3	**बीयर-** प्रतिफल फीस, लाइसेंस फीस व अन्य प्राप्तियां	**2794.34**	**4900**	**2531**	**913**	**5813**
4	**जुर्माना, जब्तियां एवं प्रशमन**	**--**	**35**	**28**	**15**	**50**
5	**अन्य मद-** शीरे पर प्रशासनिक शुल्क, आसवनी/ब्रिबरी की लाइसेंस फीस, आयात-निर्यात फीस, फार्मेसियों से प्राप्तियां एवं भांग की बिडमनी इत्यादि	**387.00**	**465**	**137**	**44**	**509**
	योग-	**20402.99**	**26000**	**15005**	**3302**	**29302**

2.7.19 <u>वर्ष के मध्य में आबकारी नीति में व्यवहारिक विचलनों के संबंध में</u>:-

आबकारी नीति की मा0 मंत्रिमण्डल से स्वीकृति के उपरान्त क्रियान्वयन किये जाने पर यदाकदा कतिपय व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। इन कठिनाइयों के समाधान एवं प्रक्रिया के सरलीकरण की व्यवस्था के लिए वर्ष 2018-19 हेतु निम्न व्यवस्था निर्धारित है:-

"आबकारी नीति की मा0 मंत्रिमण्डल से स्वीकृति के उपरान्त क्रियान्वयन व राजस्व प्राप्ति में यदाकदा आने वाली कठिनाइयों के समाधान/निवारण एवं प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु आबकारी नीति में सामयिक/व्यावहारिक/विधिक दृष्टि से किसी परिवर्तन हेतु आबकारी आयुक्त से प्राप्त/संस्तुत प्रकरणों पर गुणावगुण के आधार पर विचार कर संस्तुति करने के लिये अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसके अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग एवं अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय विभाग सदस्य तथा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग समिति के सदस्य/संयोजक हैं, को अधिकृत करने तथा समिति की संस्तुति पर मा0 आबकारी मंत्री जी के माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा निर्णय लिये जाने का प्राविधान किया जाता है।'

उपरोक्त व्यवस्था वर्ष 2019-20 हेतु भी यथावत् रहेगी॥

2.7.20 <u>आबकारी नीति के क्रियान्वयन में संभावित जोखिम व आवश्यकतायें:-</u>

वर्ष 2001-02 में नई आबकारी नीति लागू होने के पश्चात् से वर्ष 2018-19 तक पूर्व वर्ष की तुलना में अधिकतम 30.2 प्रतिशत की सर्वाधिक राजस्व वृद्धि वर्ष 2002-03 में प्राप्त हुयी थी। इस वर्ष को छोड़कर शेष वर्षो में वृद्धि की दर6.6 प्रतिशत ऋणात्मक से लेकर अधिकतम 48.30 प्रतिशत (माह नवम्बर-2018 तक) प्राप्त हुयी है। अतः इसकी शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिये तस्करी एवं अभिकर की चोरी रोकने के लिये योजनाबद्ध तरीके से प्रयास किया जाय तथा इस संबंध में पुलिस विभाग का सक्रिय सहयोग एवं विभाग का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- अत: कृपया उपरोक्तानुसार निर्धारित राजस्व की प्राप्ति की प्रतिबद्धता के दृष्टिगत कार्ययोजना निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु सर्वसम्बन्धित अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें। उपरोक्तानुसार आबकारी नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु जिन नियमों/अधिसूचनाओं आदि में संशोधन/परिवर्तन/अपमार्जन की कार्यवाही अथवा नये नियम/नियमावलियों तथा अधिसूचनाओं का प्रख्यापन/विखण्डन (समाप्त) किया जाना हो, उनका यथाप्रक्रिया समयान्तर्गत प्रख्यापन कराया जाना प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाय। यदि किन्हीं नियमों/अधिसूचनाओं आदि का संशोधन/परिवर्तन/अपमार्जन शासन स्तर से किया जाना हो, तो तत्सम्बन्धी प्रस्ताव निर्धारित अंग्रेजी एवं हिन्दी प्रारूप में शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि आगामी कार्यवाही समयान्तर्गत सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही उक्तानुसार वांछित संशोधनों का प्रख्यापन समय से सुनिश्चित कराने हेतु कृपया अपने स्तर पर शीघ्रातिशीघ्र गहन समीक्षा भी करने का कष्ट करें, ताकि भविष्य में कोई विधिक कठिनाई उत्पन्न न हो पाये।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीया

ह0/-

(कल्पना अवस्थी)

प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-1

Pricing of C.L. (Spiced) (42.8% v/v) for the year 2019-20			
S.No.	**Item**	**Qty. (in ml)**	**Rate per B.L.**
		200	
1	Cost of liquor	3.25	**16.26**
2	Bottling, Labelling & Capsuling	2.00	
3	Packing charges	0.52	
4	Bar code application	0.15	
5	Ex Factory price (without duty)	**5.92**	
6	Excise Duty	52.79	**263.93**
7	Ex Factory price (with duty)	**58.71**	
8	Profit @ 10% on the Ex Factory price (without duty and cost of liquor))	0.27	
9	Ex Distillery Price (with duty)	**58.98**	
10	Freight FOR at CL-2 wholesale Godown	0.25	**1.25**
11	**Wholesale Cost Price**	**59.23**	
12	Godown Expenses	0.31	**1.53**
13	Wastage (@ 0.25% of ex-distillery price with duty)	0.15	
14	Incidence of wholesale Licence Fee	0.22	**1.08**
15	Cost price at Wholesale	**59.91**	
16	Profit @ 2.5% of Cost price at wholesale without duty	0.18	
17	Interest on duty for one weeks @ 6%	0.07	
18	Optimal Wholesale price	60.16	
19	**MWP**	**60.16**	
20	Wholesaler's margin	0.93	
21	Incidence of Retailer's basic Licence Fee	7.13	**35.67**
22	Retailer's profit and expenses	6.27	**31.33**
23	Optimum margin for retailer	13.40	
24	Optimum Retail Price	73.56	
25	**MRP**	**75.00**	
26	**Additional Consideration Fees**	**1.44**	
27	Retailer's margin	13.40	
28	Retailer's margin per litre	67.00	
29	Retail Price of liquor per ml	0.38	
30	% of Excise revenue in Retail price	82.11	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Pricing of C.L. (Spiced) (36% v/v) for the year 2019-20			
S.No.	**Item**	**Qty. (in ml)**	**Rate per B.L.**
		200	
1	Cost of liquor	2.73	**13.67**
2	Bottling, Labelling & Capsuling	2.00	
3	Packing charges	0.52	
4	Bar code application	0.15	
5	Ex Factory price (without duty)	**5.40**	
6	Excise Duty	44.40	**222.00**
7	Ex Factory price (with duty)	**49.80**	
8	Profit @ 10% on the Ex Factory price (without duty and cost of liquor)	0.27	
9	Ex Distillery Price (with duty)	**50.07**	
10	Freight FOR at CL-2 wholesale Godown	0.25	**1.25**
11	**Wholesale Cost Price**	**50.32**	
12	Godown Expenses	0.31	**1.53**
13	Wastage (@ 0.25% of ex-distillery price with duty)	0.12	
14	Incidence of wholesale Licence Fee	0.18	**0.91**
15	Cost price at Wholesale	**50.93**	
16	Profit @ 2.5% of Cost price at wholesale without duty	0.16	
17	Interest on duty for one weeks @ 6%	0.06	
18	Optimal Wholesale price	51.15	
19	**MWP**	**51.15**	
20	Wholesaler's margin	0.83	
21	Incidence of Retailer's basic Licence Fee	6.00	**30.00**
22	Retailer's profit and expenses	5.27	**26.35**
23	Optimum margin for retailer	11.27	
24	Optimum Retail Price	**62.42**	
25	**MRP**	**65.00**	
26	**Additional Consideration Fees**	**2.58**	
27	Retailer's margin	11.27	
28	Retailer's margin per litre	56.35	
29	Retail Price of liquor per ml	0.33	
30	% of Excise revenue in Retail price	81.78	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Pricing of C.L. (Spiced/Plain) (25% v/v) for the year 2019-20			
S.No.	**Item**	**Qty. (in ml)**	**Rate per B.L.**
		200	
1	Cost of liquor	1.90	**9.50**
2	Bottling, Labelling & Capsuling	2.00	
3	Packing charges	0.52	
4	Bar code application	0.15	
5	Ex Factory price (without duty)	**4.57**	
6	Excise Duty	30.83	**154.17**
7	Ex Factory price (with duty)	**35.40**	
8	Profit @ 10% on the Ex Factory price (without duty and cost of liquor))	0.27	
9	Ex Distillery Price (with duty)	**35.67**	
10	Freight FOR at CL-2 wholesale Godown	0.25	**1.25**
11	**Wholesale Cost Price**	**35.92**	
12	Godown Expenses	0.31	**1.53**
13	Wastage (@ 0.25% of ex-distillery price with duty)	0.09	
14	Incidence of wholesale Licence Fee	0.13	**0.63**
15	Cost price at Wholesale	**36.45**	
16	Profit @ 2.5% of Cost price at wholesale without duty	0.14	
17	Interest on duty for one weeks @ 6%	0.04	
18	Optimal Wholesale price	36.63	
19	**MWP**	**36.63**	
20	Wholesaler's margin	0.71	
21	Incidence of Retailer's basic Licence Fee	4.17	**20.83**
22	Retailer's profit and expenses	3.66	**18.30**
23	Optimum margin for retailer	7.83	
24	Optimum Retail Price	44.46	
25	**MRP**	**45.00**	
26	**Additional Consideration Fees**	**0.54**	
27	Retailer's margin	7.83	
28	Retailer's margin per litre	39.15	
29	Retail Price of liquor per ml	0.23	
30	% of Excise revenue in Retail price	79.27	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।